

## किसानों की ज़मीन छीनी तो फिर आंदोलन होगा



साल 2011 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है. यमुना का प्रदूषण स्तर काफी बढ़ चुका है. देश में नई सरकार आ चुकी है. विपक्ष मृतप्राय हो चुका है. कुछ नए राजनीतिक दल मैदान में ताल ठोक रहे हैं. कुछ नए वादे किए जा रहे हैं. कुछ पुराने वादे तोड़े जा रहे हैं. देश नए रास्ते पर जाने का प्रयास कर रहा है तो कहीं से चिंगारी भड़कने की आवाज़ भी आ रही है. इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने गांव में बैठ कर एक बार फिर कुछ सवाल बुन रहे हैं. ये सवाल इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं. इनकी रोजी-रोटी से जुड़े हुए हैं. तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सवाल का कोई जवाब मिलेगा? या फिर इतिहास खुद को इतनी जल्दी दोहराएगा? 2011 में भी लोगों ने तत्कालीन सरकार से कुछ सवाल पूछे थे. जवाब नहीं मिला. फिर जो हुआ, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है. लेकिन इतिहास दोहराने का अर्थ यह भी नहीं है कि वह उसी रूप में फिर से सामने आए. उसका नतीजा वैसा ही हो जैसा पहले था. लेकिन सवाल यह भी है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में, जहां विपक्ष हताश, निराश और मृतप्राय है, आखिर कोई तो हो जो सवाल उठा सके.



शशि शेखर

**30** जनवरी को गांधीजी को याद करते हुए अन्ना हजारे ने सबसे पहली बात यह कही कि पिछले कुछ महीनों से मैं पीठ के दर्द की वजह से लोगों में नियमित रूप से नहीं जा सका. अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है. जनसेवा के लिए मैं फिर पहले जैसा काम करूंगा. यानी, अन्ना अब फिर से कोई शंखनाद करने को तैयार दिख रहे हैं. अन्ना हजारे मान रहे हैं कि नई सरकार ने अच्छे दिन लाने के वायदे तो खूब किए लेकिन चंद पूंजीपतियों को छोड़ कर किसी भी वर्ग को अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं. अन्ना को इस बात से तकलीफ है कि एक तरफ जहां सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले वक्तव्य आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कामगार क़ानून में बदलाव कर मेहनत करने वालों के बुरे दिन लाए जा रहे हैं. इन दिनों अन्ना से मिलकर देश के किसान संगठन भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन वाले अध्यादेश को लेकर बात कर रहे हैं. किसान इससे चिंतित हैं और इस क़ानून के विरोध में आंदोलन करना चाहते हैं. इस सिलसिले में वे अन्ना हजारे से नेतृत्व करने को कह रहे हैं. अन्ना हजारे ने इस पर कहा है कि यह ऑर्डिनंस लोकतांत्रिक दृष्टि से कतई ठीक नहीं है और इससे किसानों का दमन होगा. अन्ना हजारे सरकार को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सरकार को वक्त रहते ये बातें समझ लेनी चाहिए. वे देश के किसानों को आश्वस्त करते हैं कि वे लोकपाल के साथ-साथ इस प्रश्न पर भी आंदोलन करेंगे, सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और किसानों के हक के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे. अन्ना हजारे कहते हैं कि किसानों के लिए आंदोलन जरूर करूंगा, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ. पिछले कुछ दिनों में अन्ना हजारे के बयानों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि अन्ना हजारे अब चुपचाप बैठ कर सब कुछ देखने के मूड में नहीं हैं. अन्ना ने अपनी नई टीम के गठन की बात की है. अब इस नई टीम में कौन-कौन लोग शामिल होते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा. अन्ना ने देशवासियों को फिर एक बार आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की है.

अन्ना हजारे ने अपने ब्लॉग में एक लेख के जरिए मोदी

### इस बार कहां तक आएंगे पीवी राजगोपाल...

नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर एकता परिषद के पी.वी. राजगोपाल ने एक बार फिर एक और आंदोलन यानी अपने स्टेटसमेंट में पदयात्रा की घोषणा कर दी है. राजगोपाल ने कहा है कि वे हज़ारों सत्याग्रहियों के साथ भू-अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ 15 मार्च 2015 से पदयात्रा करते हुए आगरा से दिल्ली के लिए कूच करेंगे. राजगोपाल के मुताबिक कॉर्पोरेट घरानों के हित के लिए केंद्र सरकार जिस तरह जल्दबाज़ी में जनविरोधी अध्यादेश ला रही है, ऐसे में संघर्ष को तेज़ करने की ज़्यादा जरूरत हो गयी है. उन्होंने एक बार फिर से आगरा से दिल्ली तक पदयात्रा की तैयारी शुरू कर दी है. अब केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति के अधिकार और पारदर्शिता क़ानून 2013 में लाए गए संशोधनों का एकता परिषद विरोध कर रही है. एकता परिषद के मुताबिक यह अध्यादेश अन्यायपूर्ण व किसान विरोधी है. 2012 में हुए भूमि सुधार समझौते को लागू कराने एवं संशोधन विल 2014 को रद्द करने की मांग की गई थी. मांग पूरी नहीं होने पर हज़ारों की संख्या में पुनः आदिवासी भूमिहीन दिल्ली के लिए पदयात्रा शुरू करने वाले हैं. एकता परिषद के मुताबिक भारतीय संविधान में अनु. 39बी में प्राकृतिक संपदाओं पर नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रावधान हैं, यह अध्यादेश इन प्रावधानों को खारिज करता है. कोई भी निर्वाचित सरकार न्यायोचित ढंग से ऐसा कृत्य नहीं कर सकती है, ऐसा अध्यादेश केवल विशेष परिस्थिति में या आपातकालीन स्थिति में ही जारी होता है. सरकार ने न तो संसद में और न जनता के सामने ऐसा कोई कारण दर्शाया है, तो फिर ऐसे अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी? यह सच्चाई देश की जनता के सामने लाना जरूरी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पदयात्रा का नतीजा क्या निकलेगा? इससे पहले भी पीवी राजगोपाल कई यात्राएं कर चुके हैं. पीवी राजगोपाल वर्ष-2007 में भी 25 हजार आदिवासियों और किसानों को लेकर बवालियर से दिल्ली तक पैदल आए थे. लेकिन दिल्ली से पहले ही हरियाणा के पलवल/फरीदाबाद में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह वहां पहुंच गए. तब रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक सुचारु भूमि वितरण प्रणाली विकसित करने व लोगों को जमीनों का अधिकार देने की मांग को मंजूर किया था. जनसत्याग्रह आंदोलन 2012 के वक्त भी उनकी यह यात्रा बीच में ही रुक गई थी. केंद्र सरकार ने आगरा में रोक कर वार्ता की थी. तब सरकार के प्रतिनिधि तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश तथा जनसत्याग्रह 2012 के लीडर पीवी राजगोपाल के बीच देश में भूमि सुधार को लेकर 10 सूत्रीय समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत जो काम होने थे वे नहीं हुए.



सरकार पर भी निशाना साधा है. मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अधिग्रहण क़ानून के प्रावधानों को अन्ना हजारे ने किसानों के खिलाफ बताते हुए मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया है. अन्ना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इस क़ानून का मक़सद कृषि योग्य भूमि को उद्योगपतियों के हवाले करना है. अन्ना ने सवाल उठाया कि भूमि अधिग्रहण क़ानून से किसका भला होने वाला है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने ग्राम सभा के अधिकारों को कम करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है. अन्ना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि आज़ादी के 68 साल बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

अन्ना हजारे ने अपने ब्लॉग में एक लेख के जरिए मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है. मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि अधिग्रहण क़ानून के प्रावधानों को अन्ना हजारे ने किसानों के खिलाफ बताते हुए मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया है. अन्ना ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि इस क़ानून का मक़सद कृषि योग्य भूमि को उद्योगपतियों के हवाले करना है.

नए भूमि अधिग्रहण क़ानून से किसानों की आत्महत्याएं बढ़ने की आशंका है. विकास के नाम पर मोदी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है. उन्होंने लिखा है कि भूमि अधिग्रहण क़ानून में से किसानों की रज़ामंदी की शर्त हटाना गलत है. सरकार लोकहित नज़रअंदाज़ कर मनमर्जी से फैसले ले रही है. पुराने क़ानून को सही बताते हुए अन्ना ने ब्लॉग में लिखा कि इसमें यह प्रावधान था कि अधिग्रहित भूमि पर अगर पांच साल में विकास कार्य नहीं हुआ तो वह ज़मीन किसानों को वापस मिल जाती थी, पर सरकार ने यह शर्त हटाकर किसान से ज़मीन छीनकर उद्योगपतियों को ज़मीन का स्थाई मालिक बना दिया है. मोदी सरकार ने राष्ट्रहित के नाम पर अपने चहेते लोगों के हित साधने का

(शेष पृष्ठ 2 पर)



वक्फ संपत्तियों खतरे के बादल पेज-03



कितनी कारगर होगी, नई शिक्षा नीति पेज-04



क्या सुधार पाएंगी बदहाल स्वास्थ्य सेवा पेज-06



साई की महिमा पेज-12

# किसानों की ज़मीन छीनी तो फिर आंदोलन होगा

## पृष्ठ एक का शेष

रास्ता साफ किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के इस अध्यादेश में और अंग्रेजों के दमनकारी शासन में क्या फर्क है?

इसके अलावा, अन्ना ने लोकपाल के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा है कि देश में दिन प्रति-दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, सामान्य लोगों का जीना मुश्किल हो गया था. इस लिए देश की जनता ने लोकपाल, लोकायुक्त के लिए आंदोलन किया. गौरतलब है कि लोकपाल कानून को 1 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है. कानून के प्रावधान के मुताबिक एक वर्ष के अंदर लोकपाल की नियुक्ति होना अनिवार्य है. लेकिन, अब तक ऐसा नहीं हो सका है. अब तक न तो केंद्र में लोकपाल का गठन हुआ है और न ही राज्यों में इस कानून के आधार पर लोकायुक्त का गठन हो सका है. अन्ना हजारों कहते हैं कि आज जो सत्ता में है, तब बड़े जोर शोर के साथ लोकपाल का समर्थन करते थे. तत्कालीन राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे अरुण जेटली ने पत्र लिख कर मुझे समर्थन दिया था. लेकिन मुझे आश्चर्य है कि जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, सरकार ने लोकपाल के प्रति अपने रवैये में बड़ा यू टर्न ले लिया और सरकार के कामकाज संभाले हुए आठ महीने बीतने के बाद भी लोकपाल का गठन नहीं हुआ. अन्ना सरकार से सवाल करते हैं कि सरकार को खुलकर लोगों के सामने आना चाहिये और बताना चाहिये की

**लोकपाल और भूमि अधिग्रहण के अलावा अन्ना हजारों ने केंद्र सरकार पर काला धन के मामले में भी तलख टिप्पणी की है. अन्ना हजारों ने ऐसे काले धन को देश में गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा किया हुआ बताया है. अन्ना हजारों ने सरकार को यह भी याद दिलाया है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व आपने अपने प्रचार द्वारा देश को आश्वासन दिया था कि आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद 100 दिनों में काला धन वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध होगी. सरकार बनने के बाद एक एसआईटी के गठन की घोषणा भी की थी जिसके कारण लोगों की उम्मीद बढ़ रही थी. अन्ना हजारों, केंद्र सरकार पर इस बात के लिए आरोप लगाते हैं कि सो दिनों में काला धन वापस लाने की घोषणा करते समय इसकी राह में आने वाली कठिनाईयों के बारे में सोचा जाना चाहिए था.**



## भाकियू भी करेगा आंदोलन

भारतीय जनता पार्टी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से देश के किसान संगठन नाराज़ हैं और मार्च के महीने में जंतर-मंतर, नई दिल्ली में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं. किसान आंदोलन की समन्वय समिति से सम्बद्ध देश के किसान संगठनों की दो दिन की बैठक पंजाब भवन नई दिल्ली में श्री अजमेर सिंह लाखोवाल की अध्यक्षता में हुई. इसमें किसानों के मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में भाकियू के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान प्रतिनिधियों के साथ-साथ तमिलनाडु फार्मर एसोशिएशन, कर्नाटक राज्य रैयत संघ के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और 18 मार्च 2015 को होने वाली किसान पंचायत में लाखों किसानों की उपस्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई. 9 सूत्रीय एजेंडा के तहत सबसे पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की बात है. भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में किसानों को बदलाव मंजूर नहीं है. इसके अलावा, किसानों को फसलों का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिए जाने की बात कही जा रही है. किसानों को उनकी उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों का उचित एवं लाभकारी मूल्य देने की मांग की गई है. भारतीय किसान यूनियन शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को भी नामंजूर कर रहा है. देश के किसान संगठन मानते हैं कि भारतीय खाद्य निगम को लेकर गठित शांताकुमार हाईलेवल कमेटी रिपोर्ट पूर्णतः किसान विरोधी व खाय सुरक्षा विरोधी है. शांता कुमार कमेटी की सभी सिफारिशों को नामंजूर करने की मांग भी की जा रही है. यूनियन किसानों का कर्जा पूर्णतः माफ किए जाने की मांग भी कर रहा है. देश में किसानों की आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. प्राकृतिक आपदाओं पर केंद्रीय नीति बनाने की मांग भारतीय किसान यूनियन कर रहा है. देश के किसानों की मांग है कि दूसरे वर्ग की तरह किसान परिवार की भी न्यूनतम आमदनी तय की जाए. इसके लिए एक किसान आर्थ आयोग का गठन किया जाए. इसके द्वारा निश्चित किया जाए कि एक किसान परिवार की आमदनी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से कम न हो.



किसान यूनियन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र में वायदा किया गया था कि हम जैव परिवर्तित फसलों के प्रदर्शन, व्यापारिकरण और जैव परिवर्तित बीज, फसल और पौधों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. हमारी मांग है कि इस मुद्दे पर सरकार अपने किये गये वायदे को पूरा करे. इस 9 सूत्रीय एजेंडे के तहत गन्ना किसानों का भुगतान करने की मांग भी की गई है. देश के सभी राज्यों में पिछले दो वर्षों से गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है और न ही गन्ना किसानों को उनकी फसलों का भुगतान किया जा रहा है. भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि सरकार गन्ना किसानों को अदिलंब उनका भुगतान करे. यूनियन के मुताबिक मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि के मुद्दों पर कोई भी समझौता-वार्ता न की जाए. भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि देश का किसान पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी सरकार की किसान नीतियों से सरोकार नहीं रखता है. पिछले 240 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों के विरोध में कई फैसले किए गए हैं. भारतीय किसान आंदोलन की समन्वय समिति ने देश के सभी संगठनों के साथ मिलकर 18 मार्च 2015 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी किसान महापंचायत करने का फैसला लिया है. इस पंचायत में देश की सरकार पर किसानों के हक में फैसले लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा. ■

## क्या है भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत अब ज़मीन अधिग्रहण के लिए 80 फीसद किसानों की रज़ामंदी आवश्यक नहीं होगी. इसका अर्थ है कि सरकार जहां की भी ज़मीन, जितनी भी ज़मीन चाहेगी, उसका अधिग्रहण कर पाने में सक्षम हो जाएगी. ज़ारिह है, विकास के नाम पर टाउनशिप, अस्पताल, होटल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाने का काम निजी कंपनियों करेगी. उन्हें इस अधिग्रहीत ज़मीन से फायदा होगा. मुनाफ़ा उक्त कंपनियों कमाएंगी. सवाल है कि क्यों नहीं ज़मीन की खरीद-बिक्री सीधे किसानों के ज़रिये कराने की कोशिश की जा रही है. दूसरी बात यह कि ऐसे संशोधन के बाद विकेंद्रीकृत सत्ता यानी ग्रामसभा जैसी संस्था की महत्ता क्या रह जाएगी? लोकतंत्र में जन-सहमति का क्या मतलब रहेगा? संसद की स्थाई समिति ने भी भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल (यूपीए-2 के वक्त) में कहा था कि किसी भी निजी अथवा पीपीपी प्रोजेक्ट, जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित न किया गया हो, के लिए जबरदस्ती ज़मीन का अधिग्रहण न किया जाए. लेकिन, तब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थाई समिति के इस सुझाव को सिरे से नकार दिया था. तब मंत्रालय ने कहा था कि किसी भी निजी प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले 80 फीसद लोगों की सहमति मिलने पर ज़मीन अधिग्रहीत कर ली जाएगी. अब मौजूदा सरकार ने पीपीपी परियोजनाओं के लिए इस 80 फीसद सहमति वाले प्रावधान को भी खत्म कर दिया है. इस संशोधन के ज़रिये कुछ खास परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण से होने वाले सामाजिक प्रभाव के आंकलन वाले प्रावधान को हटा दिया गया है. जबकि ज़रूरी यह है कि किसी भी काम के लिए होने वाले ज़मीन अधिग्रहण से भविष्य में पड़ने वाले सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव का आंकलन किया जाना चाहिए. अधिग्रहीत की गई ज़मीन की वापसी को लेकर भी कई सवाल हैं, अनुभव यह बताता है कि ऐसी बहुत-सी अधिग्रहीत ज़मीनें हैं, जिनका इस्तेमाल 25 सालों तक नहीं हुआ और फिर भी वे इनके पुराने मालिकों को नहीं लौटाई गईं. ■



लोकपाल से वह इतना डरती क्यों है और अगर डरती नहीं है तो फिर क्या कारण है कि लोकपाल गठित नहीं हो रहा है? लोकपाल के गठन को लेकर अन्ना हजारों ने प्रधानमंत्री को अब तक तीन पत्र भी लिखे हैं. पहला पत्र 27 अगस्त 2014, दूसरा पत्र 18 अक्टूबर 2014 और तीसरा पत्र 1 जनवरी 2015 को लिखा गया है. लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री या इनके कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, सिर्फ पत्र प्राप्त होने की जानकारी दी गई. लोकपाल और भूमि अधिग्रहण के अलावा अन्ना हजारों ने केंद्र सरकार पर काला धन के मामले में भी तलख टिप्पणी

की है. अन्ना हजारों ने ऐसे काले धन को देश में गैरकानूनी ढंग से इकट्ठा किया हुआ बताया है. अन्ना हजारों ने सरकार को यह भी याद दिलाया है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व आपने अपने प्रचार द्वारा देश को आश्वासन दिया था कि आपकी सरकार सत्ता में आने के बाद 100 दिनों में काला धन वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध होगी. सरकार बनने के बाद एक एसआईटी के गठन की घोषणा भी की थी जिसके कारण लोगों की उम्मीद बढ़ रही थी. अन्ना हजारों, केंद्र सरकार पर इस बात के लिए आरोप लगाते हैं कि सो दिनों में काला धन वापस लाने की घोषणा करते समय इसकी राह में आने वाली कठिनाईयों के बारे में सोचा जाना चाहिए था. अन्ना ने यह भी कहा है कि कहां तो सो दिनों के भीतर लोगों के खाते में 15 लाख रुपये आने वाले थे और आए एक भी पैसे नहीं. अन्ना इन वादों पर सवाल उठाते हैं कि क्या वे वादे महज़ एक चुनावी घोषणा भर थे? अन्ना इसे कथनी और करनी का अंतर बताते हैं. अन्ना हजारों ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में यह भी कहा है कि मैंने विगत 35 सालों में कई आंदोलन किए, लेकिन किसी व्यक्ति या पक्ष अथवा पार्टी के विरोध में नहीं, केवल समाज और देश की भलाई के लिए. काला धन वापस लाना देश का अहम मुद्दा है और जरूरत होने पर मैं इस मुद्दे पर फिर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटूंगा. बहरहाल, अन्ना की इस चेतावनी को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, अन्ना की नई टीम कैसी होती है, क्या अन्ना सचमुच आंदोलन करेगा, क्या देश के किसान, आम आदमी और किसान संगठन अन्ना के समर्थन में आएंगे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पाने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा. ■

## चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 06 अंक 50  
दिल्ली, 16 फरवरी-22 फरवरी 2015  
RNI-DELHIN/2009/30467

**संपादक**  
संतोष भारतीय  
संपादक समन्वय  
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)  
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक  
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)  
सरयू भवन, वेस्ट बॉर्गिंग केनाल रोड,  
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001  
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

**संपादकीय कार्यालय**  
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001  
कंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

**फोन न.**  
संपादकीय 0120-6451999  
6450888  
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060  
+91-8451050786  
+91-9266627379  
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सम्मत कानूनी विचारों का श्रेयविकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.



वक्फ बोर्ड की स्थापना के बाद वक्फ संपत्तियों, विशेषकर उन धार्मिक स्थलों की वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी, जो अधिग्रहण होने के बावजूद बोर्ड की देखभाल एवं निगरानी या मुसलमानों के इस्तेमाल में थीं। तब 1970 के दशक में केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी, जिसकी रिपोर्ट सैय्यद मुजफ्फर हुसैन बर्नी के नेतृत्व में तैयार हुई, जिसे बर्नी रिपोर्ट भी कहते हैं। इस कमेटी ने ऐसी 250 संपत्तियां चिन्हित कीं, जो वक्फ की थीं। इस रिपोर्ट पर अमल करने के लिए मीर नसीरुल्लाह के नेतृत्व में एक और कमेटी गठित की गई, जिसने इन 250 संपत्तियों में से 123 ऐसी संपत्तियों का खुलासा किया, जिन्हें वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया जा सकता था।



# दिल्ली

## वक्फ संपत्तियों पर खतरे के बादल



इस्लाम के प्रावधान के अनुसार, जब कोई संपत्ति जनकल्याण के लिए विशेष रूप से दान की जाती है, तो उसे वक्फ संपत्ति कहा जाता है। ऐसी संपत्तियां महान उद्देश्य के लिए वक्फ की जाती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इनका राजनीतिक और अन्य स्वार्थों के लिए बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई में मस्जिद व यतीम खाना की वक्फ संपत्ति को प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के हाथों बेचा जाना है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चुप्पी साधे हैं, बल्कि उसके वरिष्ठ सदस्य एवं क़ानूनी सलाहकार यूसुफ हातिम मुछाला उसमें शरीक भी हैं। जहां तक दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियों का सवाल है, वे भी राजनीतिक और क़ानूनी पेचीदगियों में पिछले सौ वर्षों से उलझी हुई हैं। आइए देखते हैं कि दिल्ली की इन वक्फ संपत्तियों का मामला क्या है...



ए यू आसिफ

में ने माना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है...

भारत की छह लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों में से अधिकतर की स्थिति दयनीय है। स्वार्थी तत्वों की नज़र हमेशा से इन पर रही है और आज भी है, क्या सरकारी और क्या गैर सरकारी। हद तो यह है कि संपत्ति दान करने वाले की मंशा के विरुद्ध इन पर नाराजगण कब्जे हैं और ऐसा महसूस होता है कि हर एक व्यक्ति बकौल मिर्जा गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है...पर अमल कर रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मुसलमान, उनके कुछ संगठन और संस्थान भी अवैध कब्जेदारों की सूची से बाहर नहीं हैं। दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियां, जो पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार द्वारा डी-नोटिफिकेशन के निर्णय के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन प्रायः एक वर्ष पूर्व आ चुकी हैं, का भी कमोबेश यही हथ हो रहा है।

यही वजह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष राणा परवीन सिद्दीकी को सारे जहां से नाराजगी और शिकायत है। उन्हें शिकायत सरकार, प्रशासन, मुसलमानों एवं उनके कुछ संगठनों से भी है। उन्हें इस बात की शिकायत है कि इन 123 वक्फ संपत्तियों में से आईटीओ स्थित मस्जिद अब्दुल नबी एवं मस्जिद गौसियान उर्फ झील के प्याऊ पर जमीयतुल उलमा हिंदू के दोनों धड़े उसके आसपास की भूमि समेत काबिज हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष सिद्दीकी, जो प्रसिद्ध वकील भी हैं, का कहना है कि 123 वक्फ संपत्तियों को बोर्ड को ट्रांसफर करने के संबंध में दो मार्च, 2014 के मनमोहन सिंह सरकार के निर्णय पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जांच शुरू कराना समझ से परे है। उनका कहना है कि ये तमाम संपत्तियां दान की हुई हैं, इसलिए 104 वर्ष के बाद उनकी वापसी पर जांच की आखिर आवश्यकता क्यों आ पड़ी। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने 22 मई, 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अब जांच शुरू की है। वह कहती हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड भी अपना पक्ष न्यायालय के सामने जल्द ही पेश करेगा।

इस विवाद का विश्लेषण करते समय यह समझना आवश्यक है कि दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियां आखिर हैं क्या। गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने 1911-15 में कोलकाता से हटकर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाते समय यहां के विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण किया था, जिनमें बहुत-सी भूमि मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों एवं अन्य वक्फ की थीं, जिन्हें बिना अलग किए हुए सरकार के अधीन कर लिया गया। इसके विरुद्ध मुकदमे भी किए गए। यही कारण है कि दिल्ली मजलिस औकाफ, जिसका उत्तराधिकारी दिल्ली वक्फ बोर्ड है, ने औकाफ की भूमि का मुआवजा लेने से इंकार कर दिया था। देश आज़ाद होने के बाद तक केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी, जिसकी रिपोर्ट सैय्यद मुजफ्फर हुसैन बर्नी के नेतृत्व में तैयार हुई, जिसे बर्नी रिपोर्ट भी कहते हैं। इस कमेटी ने ऐसी 250

संपत्तियां चिन्हित कीं, जो वक्फ की थीं। इस रिपोर्ट पर अमल करने के लिए मीर नसीरुल्लाह के नेतृत्व में एक और कमेटी गठित की गई, जिसने इन 250 संपत्तियों में से 123 ऐसी संपत्तियों का खुलासा किया, जिन्हें वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया जा सकता था। सरकार ने 1984 की शुरुआत में निर्णय लिया कि इन 123 संपत्तियों का मालिकाना हक दिल्ली वक्फ बोर्ड को वापस कर दिया जाए। इस संबंध में 27 मार्च, 1984 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सेक्रेटरी डॉ. मोहम्मद रिजवानुल हक कहते हैं कि उस समय दो गलत घटनाएं हुईं। नोटिफिकेशन प्रकाशित होने से दो दिनों पहले यह बात मीडिया तक पहुंच गई, जिसके कारण एक दिन पहले यह खबर इस तरह प्रकाशित की गई कि सरकार इन संपत्तियों को एक रुपये वार्षिक प्रति एकड़ की दर से लीज पर दे रही है। दूसरी घटना यह हुई कि नोटिफिकेशन में इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने के बजाय एक रुपये वार्षिक प्रति एकड़ की दर से उसी बोर्ड को लीज पर देने की बात कही गई, जो पूर्ण रूप से सही नहीं थी, बल्कि सरकार के निर्णय एवं मंशा के विरुद्ध भी थी। उस समय मोहसिना किदवई संबंधित मंत्रालय की मंत्री थीं।

इन दोनों घटनाओं का प्रभाव यह पड़ा कि रातोंरात एक संगठन इंद्रप्रस्थ हिंदू महासभा के नाम से अस्तित्व में आ गया और उसने नोटिफिकेशन जारी होते ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और उस पर स्थगनादेश ले लिया। यह स्थगनादेश 27 वर्षों तक कायम रहा। डॉ. रिजवानुल हक, जो उस समय सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सचिव थे, ने चौथी दुनिया को बताया कि उस समय सेंट्रल वक्फ काउंसिल के आग्रह पर सात अप्रैल, 2008 को केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी के चैंबर में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें वह स्वयं भी मौजूद थे। मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में ज़रूरी फैसले युप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा ही लिए जा सकते हैं। इस तरह केंद्र सरकार इस मसले पर टाल-मटोल करती रही। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी, 2011 को 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित इंद्रप्रस्थ हिंदू महासभा की याचिका सी-1512/1984 खारिज कर दी और सरकार को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में छह माह के अंदर अंतिम फैसला करे, लेकिन सरकार समय पर समय लेती रही।

बहरहाल, इस संबंध में मनमोहन सिंह सरकार ने दो मार्च, 2014 को अंतिम निर्णय लेते हुए इन 123 वक्फ संपत्तियों को डी-नोटिफाई किया और दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ट्रांसफर कर दिया। तब विश्व हिंदू परिषद ने 22 मई, 2014 को याचिका दायर की और कहा कि उक्त संपत्तियों का दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर भूमि अधिग्रहण क़ानून के सेक्शन 48 का उल्लंघन है। विश्व हिंदू परिषद का दावा था कि संपत्तियां, जो सरकार द्वारा अधिग्रहण करके कब्जे में ली गई हैं, को न डी-नोटिफाई किया जा सकता है और न उन्हें अधिग्रहण से आज़ाद किया जा सकता है। इस संबंध में वर्तमान शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुरशीद के विरुद्ध एक रिप्रेजेंटेशन मिला है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वह इन संपत्तियों के ट्रांसफर में सबसे आगे थे। शहरी विकास मंत्रालय की राय है कि उस वक्त पूरा निर्णय जल्दबाजी में लिया गया, इसलिए मंत्रालय ने क़ानून मंत्रालय से इस संबंध में लिखित राय मांगी है।

ज्ञात रहे कि गत वर्ष डी-नोटिफिकेशन के समय इन 123 वक्फ संपत्तियों में 61 लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस, जबकि



### वक्फ आखिर क्या है

वे गंवर मोहम्मद के कथित हदीस में वक्फ की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि मूल को इस तरह ख़ैरात में दो कि वह न बेची जा सके, न उसे उपहार में दिया जा सके और न उसमें विरासत का सिलसिला जारी हो, बल्कि उसके फ़ायदे आम लोगों को मिले। उक्त हदीस के अनुसार, पूरे संसार में मुसलमानों में वक्फ करने का सिलसिला जारी है और यह जनकल्याण का एक लाभदायक एवं प्रभावकारी साधन बना हुआ है। जहां तक भारत का मामला है, 17 नवंबर, 2006 को मनमोहन सिंह सरकार को सौंपी गई सचर रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में छह लाख एकड़ भूमि पर 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत पिछले वर्ष छह हजार करोड़ रुपये आंकी गई थी और उनसे सालाना आमदनी कम से कम 163 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसी रिपोर्ट में दिल्ली की 318 वक्फ संपत्तियों की सूची भी प्रकाशित की गई है और उन पर तमाम कब्जों को गैर क़ानूनी बताया गया है। इन्हीं में इस समय विवादास्पद दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियां भी शामिल हैं।

### वक्फ संपत्तियों से खिलवाड़ बंद हो

विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर विभिन्न पक्षों की बैठक बुलाने का निर्देश न्यायालय ने दिया है। इस निर्देश पर अमल करने से पूर्व मोदी सरकार ने यह जांच शुरू कर दी है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जाने से पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां सौंपने का जो निर्णय लिया था, कहीं वह गैर क़ानूनी तो नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम कहते हैं कि सरकार को इस मामले में राजनीति के बजाय अदालती निर्देश पर अमल करना चाहिए, वरना वक्फ के महान उद्देश्य के साथ खिलवाड़ होगा और न्यायालय की अवमानना भी। उनका मानना है कि इस तरह की राजनीति के जरिये 103 वर्षों के बाद सुलझा मामला एक बार फिर से उलझाया जा रहा है। मरकजी जमीअत अलेहदिस हिंदू के महासचिव मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी मदनवी का कहना है कि वक्फ के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। जमाअत इस्लामी हिंदू के महासचिव मौलाना नुसरत अली कहते हैं कि जब पूर्व केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निर्णय लिया था, तो फिर किसी विवाद की आवश्यकता ही नहीं थी। उनका कहना है कि यह समस्या बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए सरकार न्यायालय के निर्देशानुसार ही इसे सुलझाए। बिहार राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. एमए इब्राहिमी, जिनकी आईएसए अधिकारी के तौर पर वक्फ की समस्या पर गहरी नज़र रही है, कहते हैं कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध जनकल्याण से है। इब्राहिमी ने चौथी दुनिया से बात करते हुए कहा कि यही कारण है कि उन्होंने इस संबंध में अपने व्यवहारिक तजुर्बे माई एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस में बताए हैं। उनका साफ़ तौर पर कहना है कि 123 वक्फ संपत्तियों का मामला अदालत पर छोड़ देना चाहिए। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इंद्रप्रस्थ हिंदू महासभा की 1984 की याचिका भलीभांति निपटाई। इसलिए उम्मीद है कि 2014 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर याचिका भी अदालत उसी तरह निपटाएगी, तभी इस मामले में इंसाफ़ हो पाएगा।

बाकी 22 दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन थीं। इनमें से कुछ तो सरकार के इस्तेमाल में थीं, तो कुछ अन्य मुस्लिम संगठनों एवं व्यक्तियों के कब्जे में थीं। इन वक्फ संपत्तियों में से अधिकतर कनाट प्लेस, मथुरा रोड, लोदी रोड, मान सिंह रोड, पंडारा रोड, अशोक रोड, जनपथ, संसद भवन, करोल बाग, सदर बाज़ार, आज़ाद मार्केट, दरियागंज, आईटीओ एवं जंगपुरा में स्थित हैं। प्रत्येक वक्फ भूमि से मस्जिद सटी हुई है, जबकि कुछ संपत्तियों में दुकानें एवं आवासीय भवन भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 123 वक्फ संपत्तियों पर एक बार फिर ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं। पिछली बार हिंदू महासभा ने 1984 में सरकार के नोटिफिकेशन पर स्थगनादेश ले लिया था, लेकिन 24 वर्षों के बाद 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर सरकार इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति मानती है, तो उसे इन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप देना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी, 2011 को यह याचिका खारिज भी कर दी और सरकार को कोई अंतिम निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया। अब देखा जा रहा है कि मार्च 2014 के अंतिम निर्णय को विश्व हिंदू परिषद की याचिका से जो चुनौती मिली है, उसका क्या होता है और अदालत इस संबंध में क्या निर्णय लेती है और इसी के साथ-साथ वर्तमान सरकार का रुख भी क्या होता है?



अब अगर हम मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से संबंधित वर्तमान पहल की तुलना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से करें, तो इसमें अधिकतर विषय तो पुराने ही हैं। हालांकि, इन विषयों को वर्तमान परिस्थितियों के तहत विस्तृत करने की कोशिश की गई है। उदाहरण के तौर पर, शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद अब देश भर के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश देने का दबाव पड़ने लगा है। इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने लोगों से राय मांगी है कि कैसे इस समस्या को बेहतर ढंग से हल किया जाए।

# कितनी कारगर होगी, नई शिक्षा नीति

कुमार तबरेज़

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 29 वर्षों के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति बनाने जा रही है, जिसके लिए उसने देश-विदेश के विद्वानों, शिक्षाविदों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों से इस क्षेत्र के 33 विभिन्न विषयों के तहत सुझाव आमंत्रित किए हैं। उक्त सभी 33 विषयों की सूची केंद्र सरकार की वेबसाइट [www.education.gov.in](http://www.education.gov.in) पर बीती 25 जनवरी को अपलोड की गई है, ताकि लोग सरकार को प्रत्यक्ष रूप से अपने सुझाव एवं प्रस्ताव भेज सकें। सरकार सभी सुझावों एवं प्रस्तावों को इसी वर्ष जून में राष्ट्रीय शिक्षा समिति के सामने रखेगी। इसके बाद समिति उक्त सभी सुझावों एवं प्रस्तावों की रौशनी में एक नई शिक्षा नीति बनाएगी, जिसे आने वाले दिनों में देश भर में लागू किया जाएगा। फिलहाल पूरे भारत में राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है, जिसमें 1992 में थोड़ा-बहुत संशोधन किया गया था। इससे पूर्व स्वतंत्र भारत में पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी। नई शिक्षा नीति से संबंधित मोदी सरकार की इस पहल पर बात करने से पहले आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश राज में भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी।

हम सभी यह जानते हैं कि अंग्रेज भारत में एक व्यापारी के रूप में आए थे। उस समय भारत में मुगलों का शासन था। मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत व्यापार करने की मंजूरी हासिल करने बाद अंग्रेजों ने पूरे देश भर में अपनी व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर दीं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने मुगलों को शिकस्त देने के बाद भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। अंग्रेजों द्वारा 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज और 1781 में कलकत्ता मदरसा इमलिए स्थापित किया गया, ताकि इन दोनों जगहों से हिंदुओं एवं मुसलमानों के धार्मिक कानूनों के विशेषज्ञ तैयार किए जा सकें, जो अदालती कार्यवाही में अंग्रेजी हुकूमत की मदद कर सकें। लेकिन, समय जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ईसाई मिशनरियों और कुछ भारतीयों की ओर से आधुनिक शिक्षा विकसित करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 के चार्टर एक्ट के रूप में भारतीयों की शिक्षा के लिए पहला कानून लेकर आई। इस कानून के तहत पहली बार भारत में मॉडर्न साइंस के विकास और उच्च शिक्षा के शौकीन भारतीयों का साहस बढ़ाने के लिए वार्षिक एक लाख रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अंग्रेज सरकार के सामने दो बड़े सवाल खड़े हो गए।

पहला सवाल यह था कि क्या भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा दी जाए या फिर पारंपरिक भारतीय शिक्षा आगे बढ़ाई जाए? दूसरा सवाल यह था कि उन्हें यह शिक्षा भारतीय भाषाओं में ही दी जाए या फिर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए? इन दोनों सवालों का जवाब 1835 में उस समय मिला, जब थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने भारतीयों की शिक्षा से संबंधित 36 बिंदुओं पर आधारित अपना एक प्रस्ताव तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के सामने रखा। मैकाले ने उस प्रस्ताव में न केवल अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया, बल्कि भारतीयों को आधुनिक विज्ञान पढ़ाने की भी भरपूर वकालत की, लेकिन उस प्रस्ताव की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसमें आम भारतीयों की शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। इसके उलट अंग्रेज भारतीयों में से कुछ ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे, जो देखने में तो भारतीय लगें, लेकिन उनकी सोच और जीवनशैली अंग्रेजों जैसी हो। यही नहीं, अंग्रेजों ने उन भारतीयों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया, जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों एवं कॉलेजों से अपनी शिक्षा पूरी की हो। अंग्रेजों के ही जमाने में इस कमी को उस समय दूर किया गया, जब 1854 में सर चार्ल्स वुड ने एक नया शिक्षा स्वरूप पेश किया, जो वुड्स डिसेच के नाम से मशहूर है। इसमें न केवल आम भारतीयों की शिक्षा पर जोर दिया गया, बल्कि लड़कियों की शिक्षा, स्थानीय भाषा का सुधार एवं विकास और धर्म निरपेक्षता पर आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, तो उसमें



## वे 33 विषय, जिन पर सुझाव मांगे गए हैं

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार।
- उच्च शिक्षा को समाज से जोड़ना।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास
- राज्य लोक विश्वविद्यालयों में सुधार।
- गति निश्चित करने में केंद्रीय संस्थानों की भूमिका
- समावेशी शिक्षा को सक्षम बनाना। लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विशेष ज़रूरतों के साथ बच्चों की शिक्षा।
- प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण साक्षरता में तेजी।
- स्कूल परीक्षा प्रणाली में सुधार।
- स्कूल के मानकों, स्कूल मूल्यांकन और स्कूल प्रबंधन प्रणाली में सुधार।
- नया ज्ञान।
- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
- रोजगार को शिक्षा से जोड़ने के लिए उद्योगों के साथ तालमेल।
- उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंधन।
- भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
- सबसे अच्छे शिक्षक तैयार करना।
- क्षेत्रीय असमानता को दूर करना।
- संस्थाओं की रैंकिंग और प्रत्यायन
- नए ज्ञान, शिक्षण और स्कूलों में छात्रों को विज्ञान, गणित एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने के लिए बेहतर प्रणाली।
- व्यवसायिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना।
- प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित करना।
- उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण।
- निजी क्षेत्र के साथ सार्थक साझेदारी।
- नैतिक और सामाजिक असमानता को पाटना।
- नियमन की गुणवत्ता में सुधार।
- व्यापक शिक्षा-नैतिकता, शारीरिक शिक्षा, कला एवं शिल्प, जीवन कौशल।
- स्कूल और वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रयोग।
- प्रौद्योगिकी सक्षमता हासिल करने के लिए अवसर।
- बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान।
- भाषाओं का विकास।
- शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए शिक्षक शिक्षा सुधार।
- मुक्त, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता के लिए प्रशासन में सुधार।
- छात्र समर्थन प्रणाली को बनाए रखना।

स्वतंत्रता के बाद जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, तो उसमें संविधान की धारा 45 को मद्देनजर रखते हुए देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य मूल शिक्षा सुनिश्चित की गई। इसके अलावा अध्यापकों की बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण, हिंदी-अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, विज्ञान की शिक्षा में शोध के साथ-साथ कृषि एवं व्यवसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश भर में 1023 शिक्षा व्यवस्थाएं भी लागू की गईं। इससे पहले 1961 में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) स्थापित कर उसे पहली से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल में दी जा चुकी थी, जो कि कमोबेश अब तक यह जिम्मेदारी निभा रही है।

के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश देने का दबाव पड़ने लगा है। इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने लोगों से राय मांगी है कि कैसे इस समस्या को बेहतर ढंग से हल किया जाए। इसी तरह देश में दूसरी समस्या यह है कि लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई हुनर नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर वे किसी उद्योग में नौकरी हासिल कर सकें। इसके लिए मोदी सरकार से ही हुनरमंदी के विकास (स्किल डेवलपमेंट) पर जोर दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसकी कोशिश है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही अपर छात्रों को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ दिया जाए, तो वे शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी नौकरियां पा सकेंगे और इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या हल की जा सकती है। इसके लिए उद्योग और शिक्षा के बीच तालमेल बनाने और पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल अपनाने की भी कोशिश की जा रही है।

इसके पीछे दलील यह है कि हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सरकारी मदद के साथ-साथ निजी क्षेत्र के सहयोग की भी आवश्यकता है, तभी सकारात्मक परिणाम आएंगे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में पहली बार नई शिक्षा प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत सरकार का यह प्रयास रहेगा कि पूरी दुनिया में नई-नई तकनीकों के आविष्कार के चलते शिक्षा के जो नए-नए माध्यम सामने आ रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में भी उन पर आधारित विभाग बनाए जाएं, ताकि भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया की इन तकनीकों से संबंधित आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसके साथ ही भारत सरकार की पिछले कई वर्षों से एक चिंता यह भी रही है कि भारतीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड रैंकिंग में अपना स्थान नहीं बना पाते। लिहाजा, मोदी सरकार ने लोगों से यह राय भी मांगी है कि सरकार ऐसे कौन-से कदम उठाए, जिनसे भारतीय विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त हो सके। इसके अलावा मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन अध्यापक भी तैयार करना चाहती है, जो पूरी दुनिया में जाकर अपनी सेवाएं दे सकें और भारत के विश्वगुरु (वर्ल्ड टीचर) बनने का सपना साकार कर सकें।

अध्यापकों की बेहतर शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर 1968 और उसके बाद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जोर दिया गया था। अब इसमें विश्वगुरु शब्द का इजाफा करके देश में बड़ी संख्या में ऐसे अध्यापक तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो न केवल देश के स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा कर सकें, बल्कि वे गणित एवं विज्ञान भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पढ़ा सकें और ऐसे छात्र तैयार कर सकें, जो आगे चलकर गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में नए शोध आगे बढ़ाएं। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देती है और उसने इसके लिए जो स्वरूप पेश किया है, वह कब तक व्यवहारिक रूप धारण कर पाता है। 29 वर्षों के बाद देश में शैक्षणिक ढांचा बेहतर बनाने की यह कोशिश इसलिए भी सराहनीय है, क्योंकि पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर कायम रहते हुए हम भारत को विकासशील देशों की सूची में शामिल नहीं करा सकते। दुनिया भर में शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया ज़रूर होता है। अगर हमें दूसरे विकासशील देशों के साथ स्वयं को आगे बढ़ाना है, तो वक्त के साथ सामने आने वाली तब्दीलियों के अनुरूप खुद को अपडेट करना होगा और आने वाली नई नस्ल को भी। ■



राधिका

**बि**हार में कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म होने के बाद भी कांग्रेसी नेताओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय यह बना हुआ है कि आखिर वे करें, तो क्या करें? कांग्रेस हमेशा से अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है, लेकिन शायद कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी की बिहार में कोई रणनीति नहीं बन पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में भी असमंजस का दौर चल रहा है। कांग्रेस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह आखिर किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काम करेगी। चिंतन शिविर के चारों दिन एक विचारधारा रखने वाली पार्टी के नेताओं के विचार अलग-अलग नज़र आ रहे थे। इसके साथ ही बिहार कांग्रेस प्रभारी भी कहीं न कहीं राज्य के नेताओं को समझाने में असमर्थ नज़र आ रहे थे। जहां एक तरफ बिहार कांग्रेस में फूट की बातें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं, वहीं आलाकमान से लेकर प्रदेश के नेता तक असमंजस में पड़े हैं कि आखिर जाएं, तो कहां जाएं।

बिहार में कई वर्षों से राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात में जहां राजद एवं जदयू विलय की तैयारी में लगे हैं, वहीं कांग्रेस अब समझ नहीं पा रही है कि वह विधानसभा चुनाव में अकेले उतरे या फिर लालू एवं नीतीश के साथ गठबंधन करे। चिंतन शिविर में इशारों-इशारों में बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने यह कह दिया है कि पार्टी को बैसाखी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ज़मीनी कार्यकर्ता मैदान में अकेले उतरने की बात कर रहे हैं। यह बात तो साफ हो गई है कि बिहार में कांग्रेस की ज़मीन दिनोंदिन खिसकती जा रही है। विधानसभा चुनाव को लगभग सात महीने शेष रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस दोराहे पर खड़ी नज़र आ रही है। इस संदर्भ में बिहार प्रदेश कांग्रेस की पूर्व महासचिव जया मिश्रा ने बताया कि पार्टी अपना काम कर रही है और वक्त के साथ लोगों को उसकी रणनीति भी पता चल जाएगी। रही बात बिहार में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर की, तो यह शिविर जनता के लिए नहीं, बल्कि कुछ गिने-चुने राजनेताओं के लिए आयोजित कराया गया था, इसलिए शिविर में ज्यादा लोग नहीं दिखे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह तो कांग्रेस के नेता ही ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिख रही है, जहां से वह आगे का रास्ता तय नहीं कर पा रही है। चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समीर सिंह ने कहा कि इस सिलसिले में सीपी जोशी ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी राज्य के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क और राय-मशविरा करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के

# दोराहे पर खड़ी कांग्रेस



चिंतन शिविर में अधिकांश नेताओं ने बिना कोई गठबंधन किए अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। प्रदेश कांग्रेस के नेता राजद से जुड़कर चुनाव लड़ने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि राजद के साथ लड़ने से पार्टी को नुकसान के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। जदयू से गठबंधन के सवाल पर समीर सिंह ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार और



लालू यादव सिर्फ साथ थे, तब तक नीतीश की छवि काफी अच्छी थी, पर लालू यादव से हाथ मिलाकर उन्होंने अपनी छवि भी दागदार कर ली है। इतना ही नहीं, समीर सिंह ने तो नीतीश को लालू से अलग होने का सुझाव तक दे दिया और कहा कि अगर अपनी छवि सही करनी है, तो उन्हें लालू का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब-जब लालू यादव की बात होती है, तब-तब राज्य की जनता को जंगलराज का भूत डराने लगता है।

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने यह बात खारिज कर दी कि कांग्रेस दोराहे पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के पास गई ही नहीं, तो खारिज कैसे बता दिया गया? दल का प्रदेश नेतृत्व भले दुविधाग्रस्त है, लेकिन कांग्रेस जन पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में उतरने के खाहिशमंद हैं। कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता बिहार में पार्टी के सुनहरे दिन वापस लाना चाहते हैं। निष्ठावान कांग्रेसी पार्टी को बिहार में नंबर एक का राजनीतिक दल बना सकते हैं। अब चुनाव में क्या होगा और क्या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि, कांग्रेस के बारे में एक संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि वह राजद-जदयू के साथ जाएगी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस हारे या जीते, लेकिन वह इस बार अपना अस्तित्व बचाने के लिए अकेले ही चुनाव मैदान में कूदेगी। इस दूसरी संभावना को लेकर कांग्रेस के बिहार प्रभारी सीपी जोशी ने भी हाल में सदाकत आश्रम में आयोजित शिविर में अपना रुख साफ कर दिया है। अभी तो महज एक शुरुआत हुई है, माहौल में अभी कई और दिलचस्प नज़ारे सामने आने वाले हैं। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी या गठबंधन के साथ, अभी यह कहना बहुत मुश्किल है। समय कम है और असमंजस ज्यादा। ऐसे में कांग्रेस द्वारा निर्णय लिया जाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए! ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

## नदियों के अच्छे दिन आएंगे



मंगलानंद

**कें**द्र सरकार झारखंड की नदियों को जोड़ने और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाएगी। पिछले दिनों केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री उमा भारती ने यह घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड को गंगा के लिए मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। यहां गंगा मोक्ष के साथ-साथ लोगों को रोटी भी देगी। गंगा को प्रदूषण मुक्त करके उसके किनारे बसे गांवों में ऑर्गेनिक खेती और मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में चल रही स्वर्ण रेखा परियोजना निश्चित तौर पर पूरी की जाएगी। इस संदर्भ में जो भी कठिनाइयां पेश आ रही हैं, उन्हें बहुत जल्द दूर किया जाएगा।

उमा भारती ने कहा कि गंगा मंथन कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों को गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना में शामिल किया जा रहा है। झारखंड में दामोदर नदी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। गंगा के साथ-साथ दामोदर को भी प्रदूषण मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग के लिए उसके किनारे स्थित उद्योगों और कोल इंडिया के अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। उमा भारती ने कहा कि नदियों में गाद की समस्या है, जिसके निराकरण के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव और बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों की एक समिति गठित की जाएगी, जो इस समस्या का अध्ययन करके अपने सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए भी योजना बनायी जाएगी, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। उमा भारती ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को

हरसंभव सहयोग के लिए तैयार है। राज्य की उक्त तमाम समस्याओं के निदान के लिए पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से झारखंड का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यद्यपि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, फिर भी यहां के 22 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इस लिहाज से झारखंड स्वतः विशेष राज्य की श्रेणी में आता है। उमा भारती ने मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार के उच्चाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में राज्य में चल रही स्वर्ण रेखा परियोजना, गंगा सफाई परियोजना एवं पेयजल समस्या समेत जल संसाधन के विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की गई।

उल्लेखनीय है कि गंगा नदी झारखंड में साहेबगंज एवं राजमहल जिले से गुजरती है। उक्त जिलों की पेयजल आपूर्ति, सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम के लिए सुरक्षित प्रक्रिया अपनाए जाने पर विचार किया गया। गंगा नदी में इनका प्रवाह और प्रदूषण रोकने के लिए मूलभूत उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए। सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल कृषि कार्य में खाद के रूप में किए जाने पर जोर दिया गया और सबसे कठिन लिक्विड वेस्ट का निदान नए तरीके से किए जाने की ज़रूरत पर बल दिया गया। दामोदर नदी के प्रदूषण के कारणों, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय एवं पेयजल की वर्तमान स्थिति, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, पूजन सामग्री के विसर्जन, साहेबगंज में चल रही मेगा रूरल पाइप वाटर सप्लाई स्कीम आदि पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड

## संकट में हरीश सरकार

हरीश रावत की जनसेवा और उन्हें मिल रही सफलता ने भाजपाई थिंक टैंक के माथे पर पसीना उकेर दिया है। भाजपा के दिग्गज येन-केन-प्रकारेण हरीश सरकार को धराशायी करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर विजय बहुगुणा को अपना हथियार बनाया है।

राजकुमार शर्मा

**रा**ज्य की हरीश रावत सरकार इन दिनों एक गंभीर संकट से गुजर रही है। हरीश रावत चक्रव्यूह में फंसे नज़र आ रहे हैं। उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने निशाने पर ले रखा है। पतंजलि पीठ पहुंच कर अमित शाह ने रामदेव के साथ जो हुंकार भरी थी, उसे हरीश की सक्रियता ने बेअसर कर दिया था। पंचायत एवं छावनी परिषद के चुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। विरोधियों ने शपथ ग्रहण के बाद से ही हरीश की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए थे, लेकिन विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत दिल्ली दरबार में बेअसर साबित हुए। प्रदेश में आई केदारनाथ आपदा के बाद मुख्यमंत्री बने हरीश रावत ने राहत कार्यों को तेजी प्रदान की। इस बार तीन फुट से अधिक बर्फ से ढंके केदारनाथ धाम में गणतंत्र दिवस मनाया गया। चार धाम यात्रा के लिए सेना के सहयोग से केदारनाथ धाम में पांच हजार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था कराई जा रही है। हरीश रावत की जनसेवा और उन्हें मिल रही सफलता ने भाजपाई थिंक टैंक के माथे पर पसीना उकेर दिया है। भाजपा के दिग्गज येन-केन-प्रकारेण हरीश सरकार को धराशायी करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर विजय बहुगुणा को अपना हथियार बनाया है। हेमवती नंदन बहुगुणा का पुत्र होने के नाते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाले विजय बहुगुणा का इस काम में साथ देने की जिम्मेदारी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सतपाल महाराज और उनकी विधायक पत्नी अमृता रावत को सौंपी गई है। सतपाल महाराज अपनी पूरी ताकत विजय बहुगुणा के साथ लगाकर हरीश सरकार को धराशायी कराने की योजना पर जुट गए हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री हरीश ने पीडीएफ को अभयदान देते हुए कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल होने की बात कही। हरीश ने साफ कहा कि जो लोग बुरे दिनों में कांग्रेस के साथ थे, उन्हें छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। उनका इशारा पीडीएफ को साथ रखने से है।

भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीतिक प्रयोग दिल्ली चुनाव में किया है, उसी को अब वह देवभूमि उत्तराखंड में दोहराना चाहती है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कांटे से कांटा निकालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और शायद इसी चजह से विजय बहुगुणा को आगे किया जा रहा है। उधर भाजपा के अंदरखाने भी हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी द्वारा सभी पांच सीटें जीतने के बावजूद उत्तराखंड के किसी नेता को केंद्र सरकार में शामिल नहीं किया गया। आने वाले समय में यह बात पार्टी हाईकमान के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। वहीं भाजपा ने जिन बाबा रामदेव को उत्तराखंड के लिए अपना खेवनहार बनाया, उन्हें जनता एक व्यवसायी संत से अधिक कुछ नहीं मानती है। ■

feedback@chauthiduniya.com



नई नीति में सरकारी अस्पतालों के काम की मनोदशा में बदलाव लाने की बात कही गई है। सरकारी अस्पतालों को सामाजिक संस्था मानने की सोच से बाहर निकलना होगा। अब सरकारी अस्पतालों को टैक्स फाइनैन्स सिंगल प्लेयर हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में काम करना होगा, जहां लोगों का इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है। सरकार ने लोगों के इलाज के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। जैसा कि व्यवसायिक हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, जो लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतें पूरा करने का एक प्रभावी लागत वाला कार्यक्रम है।

### चौथी दुनिया ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य पूरे करने में थोड़ा पीछे छूट गया है। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए पिछले दशक में उठाए गए कदम अपर्याप्त रहे। इस वजह से वर्ष 2000 से 2015 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक भारत नहीं पहुंच सका। इनमें पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य पाने में हुई चूक शामिल है। साथ ही भारत प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रसव कराने का लक्ष्य नहीं पा सका है। आज भी भारत में 27 प्रतिशत बच्चों का जन्म घरों में होता है। जन्म लेने वाले प्रति एक लाख बच्चों में से 178 मौत के मुंह में चले जाते हैं।

अब मोदी सरकार देश के लिए एक नई स्वास्थ्य नीति लेकर आई है। इससे पहले वर्ष 1983 और 2002 में भी सरकार स्वास्थ्य नीति लेकर आई थी। सरकार उन नीतियों के अंतर्गत बनाए गए लक्ष्य पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हासिल करने में असफल रही। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में जीडीपी का दो प्रतिशत व्यय का लक्ष्य भी पूरा करने में असमर्थ रही। इसका सीधा प्रमाण संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पंद्रह वर्षों की दीर्घ अवधि में भी हासिल न कर पाना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ड्राफ्ट मोदी सरकार ने जनता के बीच विचार-विमर्श और सुझावों के लिए रखा है। नीति का उद्देश्य और लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाना है। राइट टू हेल्थ देने की दिशा में भी केंद्र सरकार की योजना है। इन नीतियों में स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में इज़ाफा कर कुल जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने की दिशा में सरकार काम करेगी। स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का अंश खर्च करने के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों से बहुत पीछे है। कुल स्वास्थ्य बजट का 40 प्रतिशत रिसर्च, मैन पावर के विकास, निबंधन और महंगी दवाएं थोक में खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे द्वितीय और तृतीय स्तर पर भार कम होगा और वहां भी बेहतर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी। भारत में हेल्थ इंडस्ट्री (स्वास्थ्य उद्योग) प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यह वृद्धि दर देश के अन्य किसी भी औद्योगिक क्षेत्र से दोगुनी और देश की जीडीपी से तिगुनी है। स्वास्थ्य के रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देश में गरीबी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसी वजह से देश में सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए किए जा रहे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। इसलिए देश में एक ऐसी स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता है, जो बदलती ज़रूरतों के अनुकूल हो। ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया में वस्तुओं और लोगों का आवागमन बढ़ा है। इस वजह से कुछ जगह विशेष में केंद्रित रहने वाली बीमारियां भी वैश्विक स्तर पर फैल रही हैं। उदाहरण के लिए इबोला, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों ने वैश्विक रूप ले लिया है। महामारी फैलने की स्थिति में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को स्वास्थ्य नीति में शामिल किया गया है।

देश में स्वास्थ्य उद्योग के विकास के साथ-साथ एक नई समस्या भी उभरी है। निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च बेतहाशा बढ़ गया है। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, वे तो बिना किसी मोल-भाव के ऐसे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, लेकिन आम आदमी जिसके पास बीमा नहीं है, उसके लिए इन पंच सितारा अस्पतालों में इलाज कराना नामुमकिन है। निजी अस्पतालों

### मुंह की बीमारियों को जगह नहीं

भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर के रोगियों की भरमार है। तंबाकू का सेवन करने वालों को अधिकांशतः मुंह का कैंसर होता है। नई नीति में मुंह से संबंधित बीमारियों के इलाज का स्पष्ट तौर पर कोई जिक्र नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुख का स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य का सूचक होता है। मुंह में होने वाली बीमारियों का इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। यह अवधारणा गलत है कि मुंह की बीमारियां जानलेवा नहीं होतीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मुख कैंसर भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मुख कैंसर का प्रभावशाली तरीके से निदान उसी सूरत में किया जा सकता है, जबकि इसकी पहचान प्रारंभिक दौर में हो जाए। एक तरफ सरकार तंबाकू उत्पादों पर लगातार टैक्स बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी है।



## स्वास्थ्य नीति-2015

# क्या सुधार पाएंगी बदहाल स्वास्थ्य सेवा

में इलाज की कीमतें-दरें रेगुलेट करने की कोई नीति नहीं है। ऐसे में हेल्थ टूरिज्म की वजह से इन अस्पतालों में इलाज कराना मुश्किल होता जा रहा है। भारत दुनिया भर में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाता है। नई नीति में इन अस्पतालों में इलाज की दर के रेगुलेशन का जिक्र कहीं नहीं है। हालांकि, आवश्यक दवाओं के दामों का निर्धारण, स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, क्लीनिकल स्टैबिलिजेशन का निर्धारण पहले की तरह स्थापित संस्थाओं के जरिये होगा। सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति के तहत 58 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। अगले पांच वर्षों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर 14 नए हॉस्पिटल खोले जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद देश में सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 600 के आसपास पहुंच जाएगी। देश में फिलहाल 398 मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की डिग्री देते हैं, जिनमें 52,105 सीटें हैं। यह संख्या भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए अपर्याप्त है। दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उत्तर भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या जनसंख्या के लिहाज से बेहद कम है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 32 और बिहार में केवल 12 मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नए संस्थानों के लिए गुणवत्ता वाली वर्क फोर्स का चुनाव करना है, ताकि नए संस्थान एम्स के बराबर गुणवत्ता से कार्य कर सकें।

नई नीति में सरकारी अस्पतालों के काम की मनोदशा में बदलाव लाने की बात कही गई है। सरकारी अस्पतालों को सामाजिक संस्था मानने की सोच से बाहर निकलना होगा। अब सरकारी अस्पतालों को टैक्स फाइनैन्स सिंगल प्लेयर हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में काम करना होगा, जहां लोगों का इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है। सरकार ने लोगों के इलाज के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। जैसा कि व्यवसायिक हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, जो लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतें पूरा करने का एक प्रभावी लागत वाला कार्यक्रम है। सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुफ्त दवाइयों, जांच और निदान उपलब्ध हो, इसके लिए उन्हें दूसरों से बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से काम करना होगा। सरकारी सेवाओं को मुफ्त की जगह प्री-पेड के रूप में देखने से लोगों और अस्पताल में काम करने वालों के नज़रिये में अवश्य ही बदलाव आएगा।

देश में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद कमी है। देश के कई हिस्सों में अस्पताल तो हैं, लेकिन वहां डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते लोगों का समुचित इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के अलावा उच्चस्तरीय इलाज के लिए निकट के मेडिकल कॉलेजों या जिला अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। ऐसे में डॉक्टरों की कमी को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। निजी अस्पतालों की ओर डॉक्टरों के रुख करने की वजह से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो रही है। सरकार की योजना है कि प्रत्येक दस लाख की आबादी के



लिए 1000 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त अस्पताल होना चाहिए। सरकार अस्पतालों के सुधार के लिए नियमित अंतराल में उनका आकलन करेगी। अस्पतालों को न्यूनतम मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें गुणवत्ता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नियत समयान्तराल में अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही निश्चित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्ता में सुधार करने वाले अस्पतालों को पुरस्कृत करने की भी योजना है।

देश में ब्लड बैंकों में खून की कमी की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। ज़िला स्तर पर ब्लड बैंक और ब्लड की सुरक्षा एक गंभीर मसला है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त ब्लड बैंकों की संख्या ज़िला और तहसील स्तर पर इतनी नहीं है कि लोगों के लिए संक्रमण रहित ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के ज़िला एवं तहसील स्तर पर अधिकांशतः ब्लड की पूर्ति गैर-ब्लड बैंक स्रोतों से होती है। इसलिए सरकार इस दिशा में भी काम करेगी और लोगों के लिए सुरक्षित ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। देश में लंबे समय से नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी

बनाने की बात कही जा रही है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए थे, लेकिन बाद में इसे टंडे बस्ते में डाल दिया गया। बदलते समय के साथ ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में भी बदलाव की आवश्यकताओं को जानते-परखते हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन (रक्ताधान) के लिए अथॉरिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था।

सरकार का लक्ष्य जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ लिंगानुपात को भी संतुलित करना है। सरकार ने महिला नसबंदी के साथ-साथ पुरुषों की नसबंदी में इजाफा करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में यह दर 5 प्रतिशत है, जिसे 30 प्रतिशत या इससे जितना ज़्यादा हो सके, करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनाई जाने वाली आक्रामक विधियां न तो उचित हैं और न लक्ष्य पाने की दिशा में प्रभावी। शिक्षा के स्तर और पहुंच में बढ़ोत्तरी से ही जनसंख्या वृद्धि में प्रभावी तरीके से लगाव लगाई जा सकती है। टीबी एवं एड्स के अलावा मानसिक बीमारियों को भी नीति में प्राथमिकता के साथ रखा गया है। इसके अलावा आयुष को भी जगह दी गई है। कुल मिलाकर यह नीति भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत जल्द बड़ा बदलाव नहीं करने जा रही है और न कुछ दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प होने वाला है। यदि इस नीति की बदौलत सरकार सबके लिए बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाती है, तभी इसे सफल कहा जाएगा। अभी लोगों के सुझाव नई स्वास्थ्य नीति के ड्राफ्ट में शामिल किए जाने बाकी हैं। हालांकि, सरकार राइट टू हेल्थ लागू करने की दिशा में काम करती दिख रही है। यदि वह ऐसा करने में सफल होती है, तो यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी।

रिक्शा पर गैर ज़रूरी प्रतिबंध लगाने वाले क़ानूनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश में अनावश्यक रूप से जबरदस्ती बेरोज़गारी पैदा की जा रही है. श्रम करने वालों का रास्ता क़दम-क़दम पर सरकार की ग़लत नीतियां रोके हुए हैं. दिल्ली में मौजूद अधिकांश रिक्शा चालक उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के हैं, जो रोज़गार और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यहां आते हैं.



## बुनकर आंदोलन पर भारी पड़ी यूनियनबाजी

सुनील सौरभ

बिहार का मैनचेस्टर कहे जाने वाले गया के मानपुर पटवा टोली में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब दस हजार बुनकर मज़दूरों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से 20 हजार पावरलूमों की धड़कन नौ दिनों तक बंद रही. जिसके चलते पावरलूम मालिकों को करीब पांच करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा. लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति और प्रतिदिन कमाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करने की लाचारी के चलते बुनकर मज़दूरों को नौ दिनों के बाद ही मांग पूरी हुए बिना काम पर वापस लौटना पड़ा. हड़ताल का आह्वान करने वाली यूनियन के नेताओं ने इस दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि पावरलूम संचालकों और हड़ताली बुनकर मज़दूरों के बीच मारपीट होने लगी, एक-दूसरे के खिलाफ धाने में प्राथमिकी दर्ज भी कराई गई. श्रम अधीक्षक का हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास भी विफल हो गया. लेकिन जब आर्थिक तंगी के चलते बुनकर मज़दूरों के घरों में चूल्हे जलने बंद होने की नौबत आने लगी, तो वे धीरे-धीरे काम पर वापस लौटने लगे.

श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बढ़ती महंगाई के हिसाब से मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए मेहनताने में 15 फीसद का इजाफ़ा होना चाहिए. उधर पावरलूम मालिक-संचालक मज़दूरी में पांच फीसद वृद्धि की बात कह रहे थे, जो उन्होंने कर भी दी. लेकिन, मज़दूरों की हालत देखते हुए यह वृद्धि काफी नहीं मानी जा सकती. बुनकर मज़दूरों का कहना है कि राज्य सरकार भी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. मानपुर में आठ हजार पावरलूम चल रहे हैं, एक भी मिल मालिक शरीब नहीं हैं, फिर भी उन्हें सरकार से करोड़ों रुपये की ऋण माफ़ी मिल रही है. यहां से हर वर्ष लगभग आठ-दस लाख आईआईटी एवं एनआईटी की पढ़ाई के लिए चुने जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी मज़दूर के

लड़के को आईआईटी में अवसर नहीं मिला. क्या इन मज़दूरों की माली हालत पर किसी भी संगठन या राजनेता का ध्यान नहीं जाना चाहिए? बुनकर मज़दूर रात-दिन मशीन चलाते हैं, उन्हें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. यही नहीं, मज़दूर आदिन नई-नई बीमारियों के शिकार बनते हैं. पूरा भविष्य दांव पर लगा होने के बावजूद पावरलूम मालिक-संचालक कभी मज़दूरों के बारे में नहीं सोचते.

मानपुर पटवा टोली के वस्त्र उद्योग में मज़दूरों ने पहली बार इतनी लंबी हड़ताल की. अब तक पावरलूम मालिकों-संचालकों और बुनकर मज़दूरों की आपसी सहमति से मज़दूरी आदि तय हो जाती थी और काम चलता रहता था. मज़दूरों की समस्याओं का हल भी आपस में मिलजुल कर निकाल लिया जाता था. लेकिन, कुछ यूनियनबाज नेताओं की वजह से जहां मानपुर वस्त्र उद्योग को क्षति पहुंच रही है, वहीं बुनकर मज़दूरों को भी उनका वालिब हक नहीं मिल पा रहा है. पावरलूम मालिकों-संचालकों के अनुसार, जिस तरह यूनियनबाजी करके रोहतास इंडस्ट्रीज डालमिया नगर,

श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बढ़ती महंगाई के हिसाब से मेहनताना नहीं मिल रहा है, इसलिए मेहनताने में 15 फीसद का इजाफ़ा होना चाहिए. उधर पावरलूम मालिक-संचालक मज़दूरी में पांच फीसद वृद्धि की बात कह रहे थे, जो उन्होंने कर भी दी. लेकिन, मज़दूरों की हालत देखते हुए यह वृद्धि काफी नहीं मानी जा सकती.



गुरारु चीनी मिल, वारसलीगंज चीनी मिल, गया कॉटन एवं जूट मिल समेत बिहार के अन्य कई उद्योग बंद कराकर कामगारों को भूखे मरने के लिए विवश किया, उसी तरह मानपुर वस्त्र उद्योग भी बंद कराने की साजिश रची गई थी. दरअसल, किसी भी मज़दूर ने अपने पावरलूम संचालक या मालिक से लिखित रूप से कोई मांग नहीं की थी. जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए ट्रेड यूनियन के नेताओं ने उन्हें 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया, तब पता चला कि मज़दूरों की मांगें क्या-क्या हैं. मूल रूप से वर्तमान मज़दूरी में 20 फीसद बढ़ोत्तरी की मांग थी. पावरलूम पर काम करने वाले मज़दूरों को एक मशीन पर आठ घंटे काम करने की 80 रुपये मज़दूरी दी जाती है. एक शिफ्ट में एक मज़दूर एक साथ तीन पावरलूमों पर काम करता है.

वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा ने कहा कि हड़ताल के पहले ही हमने मज़दूरी में पांच फीसद की

वृद्धि कर दी थी, लेकिन बुनकर कामगार संघ ने 20 फीसद वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर दी. बाद में उद्योग मालिकों और पचास फीसद कामगारों के बीच आपसी सहमति से मामला सुलट गया और सभी कामगार वापस लौट आए. 12 से 20 जनवरी तक हुई इस हड़ताल के चलते वस्त्र उद्योग को करीब पांच करोड़ रुपये का घाटा हुआ. बुनकर मज़दूर नंद प्रसाद ने बताया कि इससे पहले कभी इतनी लंबी हड़ताल नहीं हुई. जब हम मज़दूरी बढ़ाने की बात करते, तो मालिक-संचालक हमारी बात मान लेते थे. इस लंबी हड़ताल के चलते घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया. बुनकर मज़दूर नूर आलम के अनुसार, काम करते हैं, तभी हमें और परिवार को भोजन मिलता है. सच भी यही है कि कामगारों को रोज कमाना-रोज खाना के हिसाब से चलना पड़ता है. अगर वे एक दिन भी काम छोड़कर बैठ जाएं, तो परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो जाता है. ■

## रिक्शा चालकों की सुध कब लेगी सरकार

कुमार कृष्ण

रिक्शा हमारे देश में शहरी यातायात के मुख्य साधन हैं. निम्न-मध्यम वर्ग की यह प्रमुख सवारी है. महानगरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों, कस्बों तक रिक्शा चालकों की अपनी एक अलग पीढ़ा है, जिसकी परवाह सरकार को नहीं है. दिन भर खून-पसीना बहाने के बावजूद रिक्शा चालकों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता. एक ओर करोड़ों रुपये खर्च करके सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, जबकि दूसरी ओर कई ऐसे क़ानून भी हैं, जो आम आदमी को ईमानदारी से चार पैसे कमाने से रोकते हैं. रिक्शा चालकों से संबंधित क़ानून इसका जीता-जागता उदाहरण है. रिक्शा भले ही अब लगभग लुप्त प्रायः हो चुका है, लेकिन उसकी शैली एक परिवहन के रूप में आज भी लोगों को आकर्षित करती है. भारत में सन् 1920 में पहली बार रिक्शा शिमला में दिखाई पड़ा. तत्करीब 18 साल बाद 1938 में कोलकाता में रिक्शा दिखा. इसके बाद उसकी पहुंच बढ़ती गई. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, तो सन् 2000 में यहां 40 हजार रिक्शा चालक थे, जबकि वर्तमान में लगभग एक लाख रिक्शा चालक हैं, जो हर जगह दिख जाते हैं. मेट्रो स्टेशनों के आसपास निकटतम स्थान पर जाने का यह सस्ता और सर्वसुलभ माध्यम है. सरकार का ध्यान इन रिक्शा चालकों पर नहीं है, क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाई गई किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते. स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली केंद्र सरकार इन गरीबों पर भारी पड़ रही है. नगर निगम ने यातायात पुलिस के सहयोग से दिल्ली को तीन क्षेत्रों में बांट दिया है-मुक्त, प्रतिबंधित और सीमित क्षेत्र. मुक्त क्षेत्र में रिक्शा चलाने की आज्ञा दी है, प्रतिबंधित क्षेत्र में बिल्कुल मनाही है और सीमित क्षेत्र में रिक्शा चलाने के लिए कुछ शुल्क अदा करना पड़ता है.

दरअसल, प्रतिबंधित और सीमित क्षेत्र तय करने के पीछे नीति निर्माताओं का तर्क यह है कि रिक्शाओं की वजह से सड़क जाम की समस्या पैदा होती है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन सड़कों पर रिक्शा नहीं चलते, क्या वहां जाम नहीं लगता? तो फिर कार या बसों की संख्या भी सीमित कर दी जानी चाहिए. यदि कार या अन्य वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए आम आदमी द्वारा अदा किए गए टैक्स की रकम से फ्लाइओवर बनाए जा सकते हैं, तो फिर रिक्शा चालकों के लिए अलग से कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? गौरतलब है कि राजकोष का अधिकांश हिस्सा परोक्ष कर से एकत्र होता है, जिसमें साधारण, निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों का भी योगदान होता है. यदि रिक्शा चालक सस्ती और आरामदायक सेवा दे सकते हैं और लोग रिक्शा की सवारी करना चाहते हैं, तो फिर कहीं भी रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध क्यों?

रिक्शा पर गैर ज़रूरी प्रतिबंध लगाने वाले क़ानूनों को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश में अनावश्यक रूप से जबरदस्ती बेरोज़गारी पैदा की जा रही है. श्रम करने वालों का रास्ता क़दम-



राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, तो सन् 2000 में यहां 40 हजार रिक्शा चालक थे, जबकि वर्तमान में लगभग एक लाख रिक्शा चालक हैं, जो हर जगह दिख जाते हैं. मेट्रो स्टेशनों के आसपास निकटतम स्थान पर जाने का यह सस्ता और सर्वसुलभ माध्यम है. सरकार का ध्यान इन रिक्शा चालकों पर नहीं है, क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाई गई किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते.

क़दम पर सरकार की ग़लत नीतियां रोके हुए हैं. दिल्ली में मौजूद अधिकांश रिक्शा चालक उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के हैं, जो रोज़गार और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यहां आते हैं. वे यह सोचकर आते हैं कि रिक्शा चलाना एक आसान रोज़गार है, जिसमें अन्य रोज़गारों की तुलना में कोई

खास औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती. रिक्शा भी आसानी से भाड़े पर मिल जाता है. अधिकांश रिक्शा चालक दिल्ली आने से पहले दूसरे लोगों के खेतों में काम करते थे या रोज़ दिहाड़ी पर आश्रित थे.

आम तौर पर रिक्शा चलाना ठेकेदारी प्रथा पर आश्रित है और ठेकेदार ही रिक्शा चालकों की ज़िंदगी चलाता है. सस्ते परिवहन में रिक्शा की अहम भूमिका है. कोई सहारा न होने की वजह से 60 वर्ष की आयु वाले लोग भी रिक्शा चलाते दिख जाते हैं. हर रिक्शा चालक रोजाना औसतन 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 12-14 घंटे कमरतोड़ मेहनत करता है. बावजूद इसके उसके हाथ तीन-चार सौ रुपये प्रतिदिन लगते हैं तथा उसमें से 50-60 रुपये किराये के रूप में रिक्शा मालिक को देने पड़ते हैं. अधिकांश रिक्शा चालक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उनके पास रिक्शा ख़ड़ा करने की जगह भी नहीं होती, इसलिए वे रिक्शा नहीं खरीद पाते. उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वे किराए पर झुग्गी ले सकें. इसलिए वे अपना जीवनयापन फुटपाथ पर या फिर गैराज में रहकर करते हैं.

अधिकांश रिक्शा चालक अनपढ़ या थोड़े-बहुत पढ़े-लिखे होते हैं. इससे साफ़ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके

परिवार की माली हालत कैसी होगी. सरकारी नीति और पहचान के सुबूतों के अभाव के चलते उनका क़दम-क़दम पर शोषण किया जाता है. रिक्शा चालक ट्रैफ़िक पुलिस, दिल्ली पुलिस, नगरपालिका और निजी वाहन चालकों के शोषण से पीड़ित रहते हैं. कभी टायर पंचर करके, तो कभी रिक्शा जन्त करके उन्हें परेशान किया जाता है और उनसे वसूली की जाती है. अधिकांश रिक्शा चालक मांसपेशियों में दर्द, सूजन, थकान, कमजोरी, खिंचाव से पीड़ित रहते हैं. बीमार पड़ने पर वे सरकारी अस्पताल या झोलाछाप डॉक्टरों के पास ही जाते हैं. दैनिक थकान से बचने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन भी रिक्शा चालकों में आम बात है, जिनमें शराब, सिगरेट, बीड़ी और गांजा शामिल है.

सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र रवि का कहना है कि शहरी परिवहन नीति में कहा गया है कि हर योजना लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी. शहरों को इस तरह विकसित किया जाएगा





कि वे सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मददगार साबित हों. इसके लिए परिवहन भी एक आवश्यक इकाई है. यह नीति सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने की बात करती है, लेकिन साथ ही साइकिल चलाने और पैदल चलने को ख़तरनाक घोषित करती है. मौजूदा समय में समाज एक स्वच्छ, सस्ता और अपने घर तक यातायात की सुविधा चाहता है और रिक्शा इन तमाम बिंदुओं पर खरा उतरता है. बावजूद इसके सरकार की नीतियों में रिक्शा एवं रिक्शा चालकों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कोई प्रावधान नहीं है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत हर भारतीय को अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है. इस तरह रिक्शा चालक भी संवैधानिक रूप से अपने जीवनयापन के हक़दार हैं, तो फिर उनका शोषण क्यों? ■





# घुटने की प्रत्यारोपण सर्जरी आसान विकल्प है



## चौथी दुनिया ब्यूरो

**माँ** डन लाइफ स्टाइल, काम का कोई समय नहीं और काम के लिए दिन-रात एक जैसे होने की वजह से जो बीमारी काफी अधिक बढ़ी है वो है आर्थराइटिस। जब जोड़-जोड़ दर्द करे तो इसे आम बोलचाल में गठिया कहते हैं और यही गठिया मेडिकल साइंस में आर्थराइटिस कहलाता है। डॉक्टरों का कहना है आर्थराइटिस की करीब 200 किस्म हैं। गठिया के किसी भी रूप में जोड़ों में सूजन दिखाई देने लगती है। इस सूजन के चलते जोड़ों में दर्द, जकड़न और फुलाव होने लगता है। रोग के बढ़ जाने पर तो चलने-फिरने या हिलने-डुलने में भी परेशानी होने लगती है। बढ़ती उम्र, अतिरिक्त मोटापा, हड्डियों की कमजोरी (ऑस्टियोपोरोसिस), रूमेटॉयड आर्थराइटिस, डायबिटीज और यूरिक एसिड की समस्या की वजह से कई तरह के गठिया होते हैं। गठिया कैसा भी हो, उसमें न केवल बहुत ज्यादा दर्द होता है, बल्कि घुटना भी विकृत हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या चलने-फिरने को लेकर होती है। इसकी वजह से कई बार तो बहुत कम उम्र में ही चलने-फिरने में दिक्कत आने लगती है, लेकिन शुरुआती दौर में ही इलाज करा लिया जाए तो जोड़ों की सतह को आपस में रगड़ खाने से काफी हद तक बचाया जा सकता है। उसके

बाद चलने-फिरने में आराम मिल जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है घुटने का नियमित व्यायाम। घुटने को जितनी बार मोड़ा और सीधा किया जाए, उतना ही ज्यादा आराम मिलता है। दरअसल, घुटने को सहारा देने वाली मांसपेशियों के व्यायाम से घुटनों पर जोर कम पड़ता है। दर्द का अहसास भी कम होता है। टने के असहनीय दर्द और चलने-फिरने की लाचारी का सबसे अच्छा इलाज है घुटने की सर्जरी। घुटने की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाने पर आजकल घुटना प्रत्यारोपित (नी ट्रांसप्लांट) कर दिया जाता है।

आर्थराइटिस अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग तरीके से प्रभाव डालता है। जोड़ों की हड्डी बचपन में नरम रहती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कड़ी हो जाती है। ऐसा बीमारी की वजह से भी हो सकता है और जोड़ से गुजरती किसी हड्डी के टूटने से भी। फिर तरह-तरह की दवाओं और किसी सहारे की जरूरत पड़ने लगती है। जटिल स्थिति से बचने के लिए घुटने की प्रत्यारोपण सर्जरी आसान विकल्प है। हालांकि सर्जरी की आवश्यकता तब ज्यादा होती है जब आर्थराइटिस मीडियम लेवल का हो अथवा एक्स-रे में साफ दिख रहा हो। ज्यादातर केसेज में मरीज को सर्जरी के बाद दर्द न के बराबर होता है। कम उम्र में सर्जरी को लेकर आशंका होती है और यह भी लगता है कि सर्जरी के बाद उनकी समस्या

कितनी कम हो पाएगी। लेकिन आर्थराइटिस की समस्या का इलाज करने के लिए ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही सेफ और इफेक्टिव है। सर्जरी के बाद ज्वाइंट पेन से तो रिलीफ मिलती ही है, बल्कि लाइफ की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। दिल्ली के मैक्स सुपर

**घुटनों में दर्द की समस्या लेकर आने वाले मरीजों में करीब 70 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। महिलाओं को ऐसी स्थिति का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। आम तौर पर वे ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत करती हैं। उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि सर्जरी के बाद वे घर का काम नहीं कर पाएंगी और बहुत दिनों तक बिस्तर पर ही रहना होगा।**

स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एल. तोमर का कहना है कि भारत में 18 करोड़ से ज्यादा लोग आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं और इनमें से हजारों हर साल सर्जरी का ऑप्शन अपना कर नया जीवन हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर तोमर कहते हैं कि आर्थराइटिस जोड़ों को

खराब करने वाली बीमारी है जिसमें कार्टिलेज और इसके इर्दगिर्द मौजूद बहुत से टिशू शामिल होते हैं। यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और ज्वाइंट खराब कर देती है। नी की कार्टिलेज खराब होने से होने वाली असहनीय पीड़ा से बचने के लिए नी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज है। कार्टिलेज के डैमेज हो जाने पर बांडी के उस पार्ट में लगातार दर्द बना रहता है। कार्टिलेज डैमेज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्पाइन और नीज के साथ आती है। डॉक्टर तोमर के मुताबिक नी या हिप ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट लगातार बेहतर होता जा रहा है।

घुटनों में दर्द की समस्या लेकर आने वाले मरीजों में करीब 70 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। महिलाओं को ऐसी स्थिति का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। आम तौर पर वे ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत करती हैं। उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि सर्जरी के बाद वे घर का काम नहीं कर पाएंगी और बहुत दिनों तक बिस्तर पर ही रहना होगा। इस डर से वे सर्जरी करवाने से घबराती हैं। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि घुटने की ट्रांसप्लांट सर्जरी के तीसरे ही दिन पेशेंट चल फिर सकता है। घुटने के ट्रांसप्लांट के 90 प्रतिशत तक मरीज सामान्य जिंदगी बिता रहे हैं।

feedback@chauthiduniya.com



भारत में 18 करोड़ से ज्यादा लोग आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं और इनमें से हजारों लोग हर साल सर्जरी का ऑप्शन अपना कर नया जीवन हासिल कर रहे हैं। आर्थराइटिस जोड़ों को खराब करने वाली बीमारी है। यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और ज्वाइंट खराब कर देती है। नी (घुटने) की कार्टिलेज खराब होने से होने वाली असहनीय पीड़ा से बचने के लिए नी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज है।

**-डॉक्टर एल. तोमर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल**

# रिचर्डसोर्गे: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस की मदद की

## चौथी दुनिया ब्यूरो

**पू** री दुनिया में युद्धों के लिए सेना जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जासूसी का नेटवर्क जो समय रहते न सिर्फ जानकारियां दे, बल्कि दुश्मन की हर एक रणनीति नाकाम कर दे। रिचर्डसोर्गे (जन्म-1895, मृत्यु-1944) ने सोवियत रूस के लिए जापान में जासूसी की। सोर्गे ने एक पत्रकार के रूप में जासूसी की। उसे कई यूरोपीय देशों में सम्भावित कम्युनिस्ट आन्दोलन का पता लगाने के लिए भेजा गया। 1920 से 1922 के बीच सोर्गे जर्मनी में था। वहां वो क्रिस्टीना गेल्लेच से मिला। क्रिस्टीना वहां के एक धनी कम्युनिस्ट डा. कुर्ट अलबर्ट की पूर्व पत्नी थी। सोर्गे ने क्रिस्टीना से 1921 में शादी कर ली। इसके बाद वे फ्रैंकफर्ट चले गए। यहां पर सोर्गे ने बिजनेस कम्युनिटी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। फ्रैंकफर्ट में सोर्गे ने एक नए मार्क्सिस्ट थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फार सोशल रिसर्च को मदद करने का काम किया। 1924 में अपनी पत्नी के साथ सोर्गे मास्को चला आया। 1929 में सोर्गे रेड आर्मी में शामिल हो गया। 1929 में सोर्गे ब्रिटेन गया जहां उसने श्रमिक आन्दोलन का और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का अध्ययन किया। वह वहां की राजनीति से दूर रहा और अंडर कवर रह कर काम करता रहा।

रिचर्डसोर्गे को सोवियत रूस के बड़े जासूसों में जगह मिलती है। इसने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां रूसियों को सौंपी। रिचर्डसोर्गे का जन्म रूसी जार के शासनकाल में अजरबैजान में हुआ था। उसके अंकल कार्लमार्क्स के अनुयाई थे, जिसकी वजह से उसे प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का मौका मिला। इसने रूसी सेना के साथ काम किया



और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस दौरान रिचर्डसोर्गे बुरी तरह घायल हो गया और उसकी टांगे तक टूट गईं। इसके बाद उसने रूसी सेना में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम किया और पत्रकार के तौर पर यूरोपीय देशों में गया। इस बीच उसे रूसी कम्युनिस्ट सरकार ने 1922 में व्यापारियों की जासूसी करने के लिए फ्रैंकफर्ट में भेजा। सोवियत रूस के लिए वो कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस ने उसे 1933 में जापान में जासूसी नेटवर्क खड़ा करने की जम्मेदारी। इसी ने 14 सितंबर 1941 में रूस को सूचना दी कि जापानी सेना रूस पर हमला करने नहीं जा रही, बल्कि साइबेरिया में सिविल वार को बढ़ावा देने की तरफ उसका ध्यान है। रिचर्डसोर्गे 18 अक्टूबर 1941 में टोकियो में गिरफ्तार किया गया, जब उसकी प्रेमिका ने उसकी एक पर्ची फेंक दी। उसने पकड़े जाने पर खुद के रूसी होने से इनकार कर दिया। उसे रूस ने भी युद्ध कैदी के तौर पर स्वीकार नहीं किया और वो टॉर्चर होता रहा। रिचर्डसोर्गे को 7 नवंबर 1944 को फांसी दे दी गई। सोवियत रूस ने 1964 में उसे अपना जासूस स्वीकार किया। इससे पहले उसके रूसी जासूस होने का बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया था।

1954 में पश्चिमी जर्मनी के फिल्मकार वेत हैरलान ने जापान में सोर्गे की भूमिका पर एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम बीट्रियल आफ जर्मनी है। हैरलान नाजियों के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स का पसंदीदा फिल्मकार था, जिसने कई प्रोपेगंडा फिल्में बनाईं। इस फिल्म को पश्चिमी जर्मनी में रीलज के दो दिन बाद ही प्रतिबन्धित कर दिया गया था जिसे फिर से सम्पादित करने के बाद ही जारी किया जा सका।

feedback@chauthiduniya.com

रिचर्डसोर्गे को सोवियत रूस के बड़े जासूसों में जगह मिलती है। इसने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां रूसियों को सौंपी। रिचर्डसोर्गे का जन्म रूसी जार के शासनकाल में अजरबैजान में हुआ था। उसके अंकल कार्लमार्क्स के अनुयाई थे, जिसकी वजह से उसे प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का मौका मिला। इसने रूसी सेना के साथ काम किया और प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस दौरान रिचर्डसोर्गे बुरी तरह घायल हो गया और उसकी टांगे तक टूट गईं। इसके बाद उसने रूसी सेना में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम किया और पत्रकार के तौर पर यूरोपीय देशों में गया।









## 90 किमी प्रति घंटे का माइलेज देने वाली बाइक

बजाज ने एंटी लेवल में अपनी पॉपुलर बाइक प्लेटिना का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसे बजाज प्लेटिना 100 ईएस (Platina 100 ES) नाम दिया गया है। इसमें 102 सीसी डीटीएसआई इंजन लगा है जो 8.2 बीएचपी का पावर और 12.75 एनएम का टॉर्क देने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि नई बजाज प्लेटिना 100 ईएस 96.9 किलोमीटर प्रतिघंटे का माइलेज देती है। 100 ईएस में नई हैंडलाइट, पेट स्कीम और नए डेकल आकर्षक ग्राफिक्स के साथ दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रेब रेल और सीट में भी बदलाव किया गया है। अलॉय व्हील और रीयर सस्पेंशन पहले वाले मॉडल की तरह ही है, लेकिन साइड इंडिकेटर नए कलर में आए हैं। नई बजाज प्लेटिना 100 ईएस में इंजन भी पहले के मुकाबले ज्यादा पावर वाला दिया गया है। नई बजाज प्लेटिना 100 ईएस की कीमत लगभग 44,507 रुपये रखी गई है। ■



## लैपटॉप और पीसी यूजर्स के लिए फ्री एंटी-वायरस

अगर आप अपने कम्प्यूटर को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए इस एंटी-वायरस से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके लिए कई एंटी-वायरस मौजूद हैं, जो आपके कम्प्यूटर को पूरी सुरक्षा देते हैं, लेकिन इनके दाम हजारों में होते हैं। वहीं, कम्प्यूटर को स्कैन करना भी जरूरी है और पैसे बचाना भी। ऐसे में, हम आपको 6 एंटी वायरस लेकर आए हैं, जिससे आप अपने कम्प्यूटर को फ्री में पूरी सुरक्षा दे सकते हैं। इन्हें इन्स्टॉल और यूज करना भी बेहद आसान है। यह एंटी-वायरस इन्स्टॉल करने में बेहद आसान है। यह आपके कम्प्यूटर के परफॉर्मंस पर बिना असर डाले पहले स्कैन में ही थ्रेश को पकड़ लेता है और आपको मालवेयर से अपडेट करता रहता है। यह विंडो 8.7, विस्ता और एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। यह फ्री एंटी-वायरस कमर्शियल एन्वायरनमेंट के लिए नहीं है। अवास्ट एंटी वायरस में कई ऐसे फीचर्स हैं जो यूजर्स के काफी काम आ सकते हैं। इनमें से सॉफ्टवेयर अपडेटर यूजर्स को हमेशा प्रोग्राम को अपडेट करने के बारे में नोटिफाई करता रहेगा। इसके अलावा, ब्राउजर क्लीनअप और ग्रिम फाइटर जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।



यह फ्री एंटी-वायरस सभी तरह के वायरस अटैक से आपको बचा सकता है। साथ ही, आपके डेटा को भी सुरक्षित रखता है। यह एंटी-वायरस एक टूलबार भी प्रोवाइड करता है, जिसमें एंटी-फिशिंग टूल, ऐड ब्लॉकर और सोशल नेटवर्किंग प्रोटेक्शन कित होती है। वैसे, इसका इंटरफेस समझने में थोड़ा मुश्किल है। अवीरा(AVIRA) ने कुछ समय पहले AVIRA Protection Cloud (PC) बनाया है, जो पीसी को पूरी तरह सिक्वोर करता है। यह एंटी-वायरस आपके पीसी को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस को ब्लॉक कर देता है। हैकर्स से पीसी को हाइड करता है। सोशल साइट से होने वाले हार्म को स्कैन करता है। साथ ही, सभी प्रोग्राम्स को मॉनिटर भी करता है।

इस एंटीवायरस की मदद से फाइरवॉल प्रोटेक्शन और कुछ हद तक पीसी प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर पर पूरी तरह से भरोसा करना शायद ठीक ना हो।

यह एंटी-वायरस अच्छे फीचर्स के साथ आपको मिलता है, जैसे एंटी-वायरस इंजन, ई-मेल स्कैनर, थैफ्ट प्रोटेक्शन और लिंक स्कैनर। ये सभी फीचर्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन सेफ रखते हैं। वीजी ने हाल ही में वीजी जेन टूल AVG Zen Tool रिलीज किया है। कंपनी का दावा है कि यह डेस्कटॉप और मोबाइल, दोनों को वायरस से पूरी तरह प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी एंटी-वायरस आपको 100 प्रतिशत प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, ऐसे में Emsisoft Emergency Kit परफेक्ट साबित हो सकता है। यह आपके पीसी को पहले से इन्स्टॉल एंटी-वायरस के साथ प्रोटेक्ट करेगा। इस एंटी-वायरस की खास बात है कि इसे पीसी में इन्स्टॉल नहीं करना पड़ता। यह पीसी को डायरेक्ट स्कैन करता है।

मालवेयर हटाने के लिए ये सॉफ्टवेयर डुअल स्कैनर का इस्तेमाल करता है। ये डिवाइस यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स (पेन ड्राइव और बाकी यूएसबी डिवाइसेस) के लिए बेहतर स्कैनिंग सॉफ्टवेयर बन सकता है। ■

## एचटीसी ने ऑक्टो कोर फोन लॉन्च किया

एचटीसी ने एक नया और सस्ता स्मार्टफोन 526जी+ पेश किया है जो ऑक्टो कोर प्रोसेसर से लैस है। यह एंड्रॉयड किटकेट पर आधारित है और डुअल सिम फोन है। इसका स्क्रीन 4.7 इंच का है जो 960 गुणा 540 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है। यह एंड्रॉयड किटकेट पर आधारित है। इसका प्रोसेसर 1.7 जीएचजेड ऑक्टो कोर है। इसका रैम 1जीबी है और इसका इंटरनल स्टोरेज माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 8जीबी या 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसका रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल है और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें अन्य फीचर 3जी, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ 4.0 जैसी सुविधा उपलब्ध है। इसकी बैटरी 2000 एमएच की है। इसकी कीमत 10,400 रुपये(16जीबी), 11,400 रुपये(32जीबी) है। ■



## आईबॉल का कई फीचर्स वाला नया फोन

आईबॉल ने नया एंडी 5क्यू कोबाल्ट सोलस स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इस स्लिम और हल्के फोन में ऑक्टो-कोर प्रोसेसर के साथ-साथ कई और अच्छे स्पेसिफिकेशन्स हैं। इसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टो-कोर कॉरटेक्स-7 प्रोसेसर है। इस फोन में 2 जीबी रैम है। यह एक ड्यूल सिम फोन है जिसमें एंड्रॉयड 4.4 किटकेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 16 जीबी इंटरनल मेमोरी है जो माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकती है। इस फोन का डिस्प्ले ओजीसी टच के साथ-साथ 5 इंच की है जो 1280 गुणा 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है। इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल ऑटो-फोकस रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। इसमें ग्लास फिनिश वाला बैक पैनेल है जो इसे प्रीमियम लुक देता है। यह प्राइमरी कैमरा लाइव फोटो ऑप्शन, फेस ब्यूटी, पैनोरामा मोड, फेस डिटेक्शन, स्माइल शॉट और वी कैप्चर मोड्स को सपोर्ट करता है। इस फोन की बैटरी 2250 एमएच की है। इसकी कीमत 11,999 रुपये है। ■



## कम कीमत में बेहतर वायरलेस स्पीकर


लॉजिटेक ने हाल ही में एक्स 100 मॉडल के साथ एक्स300 मोबाइल वायरलेस स्पीकर लॉन्च किया। 360 ग्राम के वजन वाले इस डिवाइस का माप 2.7एक्स 5.9एक्स 2.8 इंच है। इसकी खड्डनुमा बांडी पकड़ने में काफी सुविधाजनक है साथ ही इसमें लगे तीन बटन (वॉल्यूम रॉकर और ब्लूटूथ) ऑपरेट करने में काफी आसान है। पावर बटन इसके पीछे की ओर छुपा हुआ है और जब तक आप इसे प्रेस नहीं करते यह बटन की तरह दिखेगा भी नहीं। इसमें लगा एलईडी इंडिकेटर आपको अलर्ट करता है- जब पैरिंग हो तो ब्लू क्लिक और चार्ज की जरूरत हुई तो रेड क्लिक। पावर बटन के पास ही 3.5 मिमी का स्टैंडर्ड पोर्ट के साथ चार्जिंग के लिए माइक्रोयूएसबी पोर्ट लगा है। यदि इसके परफॉर्मंस को देखें तो बड़े साइज के रूम या मिनी हॉल के लिए इसकी आवाज काफी अच्छी साबित होगी। चाहे वह ट्रू स्टेप्स ट्रू हेल्स निरो एलबम हो या कोई वायलिन पीस इस डिवाइस के साउंड में किसी तरह का क्रेक या घरघराहट नहीं आएगी। इसका आउटपुट काफी बेहतर है। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो यह आपको एक सिंगल चार्ज के बाद 5 घंटे तक नॉन स्टॉप प्लेबैक का आनंद मुहैया कराएगा। इसमें 30 फीट का वायरलेस रेंज भी है और बिल्ट इन स्पीकर इनकेस भी यदि आप कॉलस लेना चाहें। इसकी कीमत 5,995 रुपये है। ■



## टाटा मोटर्स की नई एसयूवी

टाटा मोटर्स एक ऐसा कॉम्पैक्ट एसयूवी पेश करने जा रही है जो लज्जी का दूसरा नाम होगा। इसकी छत और इसके व्हील इसके खास आकर्षण होंगे। इसको एक्स104 के नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन कंपनी अभी इसको कोई नाम नहीं दिया है। कंपनी ने इसे स्लीक लुक देने की कोशिश की है ताकि यह सभी को पसंद आए। इसके लिए रियर स्पेस को घटा दिया गया है। एक्स104 दरअसल इवोक के मिनी संस्करण जैसा दिखता है। ध्यान रहे कि इवोक रेंज रोवर का शानदार एसयूवी है जिसे विदेशों में बेचा जाता है और इसका स्वामित्व भी टाटा मोटर्स के पास है। यह एसयूवी उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी जिस पर टाटा की नई कारें बोल्ट और जेस्ट हैं और कुछ चीजें उनसे भी ली गई हैं। इसके व्हील को 17 इंच का बनाया गया है ताकि यह बड़ा दिखे। इस एसयूवी में टाटा का नया 1.5 लीटर डीजल मोटर लगाया जाएगा जिसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि 110 बीएचपी की शक्ति प्रदान करेगा। इसमें छह गियर होंगे ताकि यह ज्यादा पावर हैंडल कर सके। कंपनी ने पूरी कोशिश की है कि इसकी माइलेज फोर्ड के एसयूवी इकोस्पोर्ट से ज्यादा हो। इसमें पेट्रोल इंजन का भी विकल्प होगा। टाटा ने इसके लिए 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी बनाया है। इसे एल्युमिनियम से बनाया गया है और इसलिए यह हल्का है। ■

इसको एक्स104 के नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन कंपनी अभी इसको कोई नाम नहीं दिया है। कंपनी ने इसे स्लीक लुक देने की कोशिश की है ताकि यह सभी को पसंद आए। इसके लिए रियर स्पेस को घटा दिया गया है। एक्स104 दरअसल इवोक के मिनी संस्करण जैसा दिखता है।





पेस अब तक 99 पुरुष और 24 महिला खिलाड़ियों के साथ जोड़ियां बना चुके हैं. महेश भूपति अब तक के उनके सबसे सफल साथी रहे हैं. साल 1996 में अटलांटा ओलंपिक में एकल कांस्य पदक जीतना उनके जीवन का सबसे अहम या कहे सर्वश्रेष्ठ पल है. लेकिन उन्होंने अपने हार न मानने वाले जब्बे से पूरी पीढ़ी को अपना कायल बना लिया. पेस अपने 24 साल लंबे प्रोफेशनल टेनिस करियर में कुल 31 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के फाइनल में पहुंचे, जिसमें से 15 बार वह विजेता बनने में कामयाब हुए, जबकि 16 बार वह उपविजेता रहे. वह मिक्स डबल्स स्पर्धाओं में 15 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं जिसमें 7 बार वह विजयी हुए और 8 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.



नवीन चौहान

साल 2015 की शुरुआत में चेन्नई ओपन के युगल स्पर्धा के फाइनल में हारने के बाद टेनिस स्टार लिअंडर पेस ने कहा था कि, मैं सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के जज्बे से प्रेरित होता हूँ. मैं रोजाना अपने जीवन के हर पहलू में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करने से प्रेरित होता हूँ. एक बेटे के रूप में, देशभक्त के रूप में, पिता के रूप में मैं सबसे बेहतर करने की कोशिश करता हूँ. मैं इस भावना से आगे बढ़ता हूँ कि हर दिन बेहतर हो सकता है, वह भी तब, जब मैं छह महीने बाद 42 साल का होने वाला हूँ. मैं अपने खेल में हर दिन सुधार करना चाहता हूँ. जीवन में मुश्किल हालात हमेशा मौजूद रहते हैं, ऐसे में अहम यह है कि जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान लगाया जाए. अड़चनें आपके नियंत्रण से बाहर हैं लेकिन आप उसे उनका किस तरह सामना करते हैं यह महत्वपूर्ण है, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप उनका कैसे सामना करते हैं यह मायने रखता है. नाराज़ होने, हताश होने का क्या फायदा, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला. इस तरह की हर बात का जवाब अंत में मेरा रैकेट देता है. इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं है. इस बात को कहे पंद्रह दिन भी नहीं गुजर थे कि लिअंडर पेस ने मार्टीना हिंगिस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल्स का खिताब जीत लिया, और अपनी बात को सही साबित किया.

41 वर्षीय लिअंडर के करियर का यह 15 वां ग्रैंड स्लैम खिताब है. उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतना अद्भुत है. गत 24 सालों से वह टेनिस कोर्ट पर खिताबी जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. ढाई दशक बाद भी खेल के प्रति उनके जज्बे में कोई बदलाव नहीं आया है. दिन-ब-दिन उनकी जीत की भूख बढ़ती जा रही है. साल 2013 में यूएस ओपन जीतने के बाद पेस ने कहा था कि उम्र तो महज़ एक आकड़ा है जिस पर मैं सिर्फ मुस्कुराता हूँ. मेरा सफर अभी थमा नहीं है. इस बार जीत के उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र का असर न तो उनके खेल पर पड़ा है, न ही जज्बे पर. यह बात इससे साबित होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इन दोनों की जोड़ी एक भी सेट नहीं हारी.

साल 2013 में यूएस ओपन का युगल खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बनने वाले पेस ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल्स का खिताब जीतकर अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर दिया. पेस-हिंगिस की जोड़ी ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में क्रिस्टीना और डेनियल नेस्टर की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से मात दी. 41 वर्षीय लिअंडर के करियर का यह 15 वां ग्रैंड स्लैम खिताब है. उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीतना अद्भुत है. गत 24 सालों से वह टेनिस कोर्ट पर खिताबी जीत के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. ढाई दशक बाद भी खेल के प्रति उनके जज्बे में कोई बदलाव नहीं आया है और न ही उनके जीत के जुनून में कमी आई है. दिन-ब-दिन उनकी जीत की भूख बढ़ती जा रही है. साल 2013 में यूएस ओपन जीतने के बाद पेस ने कहा था कि उम्र तो महज़ एक आकड़ा है

# उम्र की सीमाओं से परे लिअंडर पेस



जिस पर मैं सिर्फ मुस्कुराता हूँ. मेरा सफर अभी थमा नहीं है. इस बार जीत के उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र का असर न तो उनके खेल पर पड़ा है, न ही जज्बे पर. यह बात इससे साबित होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इन दोनों की जोड़ी एक भी सेट नहीं हारी. पहले दौर का एक सेट ही टाई ब्रेकर तक गया. इसके बाद दोनों की जोड़ी लगातार आगे बढ़ती गई और खिताब हासिल कर लिया.

पेस ने 1991 पेशेवर टेनिस खेलना शुरू किया था. उस वक़्त वह विंबल्डन और यूएस ओपन का जूनियर खिताब जीत चुके थे और जूनियर रैंकिंग में पहले नंबर पर थे. पहले ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ा. उन्होंने पेशेवर करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब साल 1999 में महेश भूपति के साथ फ्रेंच ओपन के रूप में जीता था. इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. हालांकि, इससे पहले पेस ओलंपिक में एकल कांस्य पदक जीतकर अपनी काबीलियत साबित कर चुके थे. एकल स्पर्धाओं में वह सफल नहीं हुए. इसलिए उन्होंने युगल मुकाबलों की तरफ रुख किया और हम वतन महेश भूपति के साथ युगल स्पर्धाओं में भाग लेना

पेस नवरातिलोवा के साथ साल 2003-2005 के बीच चार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें से 2003 में विंबल्डन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में यह जोड़ी सफल हुई थी. उसी अनुभव के आधार पर नवरातिलोवा ने हिंगिस को पेस के साथ जोड़ी बनाने की सलाह दी होगी. खिताबी जीत के बाद हिंगिस ने पेस की तारीफ की और कहा कि मार्टीना (नवरातिलोवा), लिअंडर को मुझे देने के लिए शुकिया. मुझे लगता है कि हर मैच के साथ हम मजबूत होते गए. मनोबल, टीम वर्क, एक दूसरे के सुझाव हमारे काम आए. हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं. शायद यही हर मैच में अहम कड़ी थी.

शुरू किया. इन दोनों की जोड़ी बेहद सफल रही. दोनों की जोड़ी को दुनिया भर में इंडियन एक्सप्रेस के नाम जाना जाने लगा. इस जोड़ी ने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते. इंडियन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने यानी कि दोनों के अलग हो जाने के बाद भी पेस के खेल में बदलाव नहीं आया. वह लगातार जीत हासिल करते रहे. पेस अब तक 99 पुरुष और 24 महिला खिलाड़ियों के साथ जोड़ियां बना चुके हैं. महेश भूपति अब तक के उनके सबसे सफल साथी रहे हैं. साल 1996 में अटलांटा ओलंपिक में एकल कांस्य पदक जीतना उनके जीवन का सबसे अहम या कहे सर्वश्रेष्ठ पल है. लेकिन उन्होंने अपने हार न मानने वाले जब्बे से पूरी पीढ़ी को अपना कायल बना लिया. पेस अपने 24 साल लंबे प्रोफेशनल टेनिस करियर में कुल 31 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के फाइनल में पहुंचे, जिसमें से 15 बार वह विजेता बनने में कामयाब हुए, जबकि 16 बार वह उपविजेता रहे. वह मिक्स डबल्स स्पर्धाओं में 15 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं जिसमें 7 बार वह विजयी हुए और 8 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. यह पेस का सातवां मिक्स डबल्स और करियर का तीसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स खिताब है. पेस करियर में तीन बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीन बार विंबल्डन और एक बार यूएस ओपन मिक्स डबल्स खिताब जीत चुके हैं. मिक्स डबल्स खिताब का करियर स्लैम पूरा करने के लिए केवल फ्रेंच ओपन जीतना बाकी है. यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यह उपलब्धि उनके करियर में चार चांद लगा देगी. पुरुष युगल का करियर ग्रैंड स्लैम वह साल 2012 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतकर पूरा कर चुके हैं. उन्होंने करियर में एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीन फ्रेंच ओपन, एक विंबल्डन और तीन यूएस ओपन युगल खिताब जीते हैं.

पेस-हिंगिस की जोड़ी को प्रतियोगिता में सातवीं वरियता दी गई थी. लेकिन यह जोड़ी विजयी बनकर निकली. पेस पिछले कुछ समय से पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने इसका असर अपने खेल पर पड़ने नहीं दिया. वह कुछ समय खेल के मैदान से दूर रहे लेकिन जब वह कोर्ट पर वापस लौटे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा कर लिया. ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले चेन्नई ओपन में वह दक्षिण अफ्रीका के रावेन व्लासेन के साथ उपविजेता रहे थे. बढ़ती उम्र का असर उनके खेल पर कतई नज़र नहीं आ रहा है.

उम्र के इस पड़ाव पर इस तरह की उपलब्धि केवल शारीरिक सुदृढ़ता के साथ-साथ मानसिक दृढ़ता भी जरूरी होती है. बढ़ती उम्र के साथ खिलाड़ियों को थका हुआ मान लिया जाता है. लेकिन पेस अपने अनुभव का फायदा उठा रहे हैं. उन्हें 20 साल से टेनिस कोर्ट पर जलवा बिखेर रही हिंगिस का भी बराबर सहयोग मिला. पेस ने अपनी नई पार्टनर मार्टीना हिंगिस की जमकर तारीफ की और कहा कि हिंगिस के साथ खिताब जीतना एक दिलचस्प लम्हा है. मार्टीना के साथ खेलना अद्भुत है. मैं उनके खेल से काफी कुछ सीखने में सफल रहा हूँ. हिंगिस पेस की 24 वीं मिक्स डबल्स पार्टनर हैं. मार्टीना हिंगिस ने दो साल पहले दूसरी बार संन्यास से वापसी की थी तब उन्होंने तय किया था कि वह एकल मुकाबले नहीं खेलेंगी. वह सारा ध्यान युगल मुकाबलों में लगाएंगी. इसके लिए उन्हें ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उनका खिताब जीतने में मददगार हो. ऐसे में उन्होंने पेस को अपना पार्टनर चुना. हिंगिस को पार्टनर के रूप में पेस का नाम मार्टीना नवरातिलोवा ने सुझाया था. पेस नवरातिलोवा के साथ साल 2003-2005 के बीच चार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें से 2003 में विंबल्डन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में यह जोड़ी सफल हुई थी. उसी अनुभव के आधार पर नवरातिलोवा ने हिंगिस को पेस के साथ जोड़ी बनाने की सलाह दी होगी. खिताबी जीत के बाद हिंगिस ने पेस की तारीफ की और कहा कि मार्टीना (नवरातिलोवा), लिअंडर को मुझे देने के लिए शुकिया. मुझे लगता है कि हर मैच के साथ हम मजबूत होते गए. मनोबल, टीम वर्क, एक दूसरे के सुझाव हमारे काम आए. हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं. शायद यही हर मैच में अहम कड़ी थी. उनकी बातों से तो यही जाहिर होता है कि पेस को खुद पर जितना भरोसा है उससे ज्यादा भरोसा उनके साथी या प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को है. पेस के साथ पहली बार जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाने के बाद हिंगिस ने कहा था कि वह मानती हैं कि उन्हें और पेस को देर से जोड़ी नहीं बनानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि मैंने पेस से कहा था कि हमें 10 साल पहले जोड़ी बना लेनी चाहिए थी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत पाते.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिअंडर पेस भारत के सबसे कामयाब टेनिस खिलाड़ी हैं. वह अपने खेल से देश की झोली उम्र के चालीसवें पड़ाव पर आकर भी भरते जा रहे हैं. पेस भारतीय खेलों की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, उन्होंने दुनिया भर में टेनिस में भारत को पहचान दिलाई. भले ही वह पेशेवर टेनिस के एकल मुकाबलों में सफल न हो सके हों, लेकिन युगल मुकाबलों की बदौलत वह भारतीय खिलाड़ियों दर्शकों से विजेता की श्रेणी में आए. वह पेशेवर टेनिस के साथ-साथ ओलंपिक, एशियाई खेलों और एटीपी टूर्नामेंट में देश का नेतृत्व बड़ी मेहनत से करते हैं. देश की युवा पीढ़ी आज उनके नक्शे कदम पर चल रही है. इस वजह से देश में टेनिस का भविष्य सुरक्षित नज़र आ रहा है.

## बॉलीवुड ख़बरे

## हार्वर्ड में पीके

आमिर खान की फिल्म पीके ने बॉक्स ऑफिस ही नहीं, बल्कि दुनिया में धाक जमा रही है. इस फिल्म ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विजनेस स्कूल हार्वर्ड में भी इका बजा दिया है. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को पीके पर लेक्चर देने के लिए निमंत्रण भेजा है. आमिर ने हार्वर्ड का न्योता स्वीकार कर लिया है. हालांकि अभी लेक्चर की तारीख सुनिश्चित नहीं हुई है. आमिर हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ पीके में उनके रोल और तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने केवल भारत में 340 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. फिल्म विवाद की वजह से भी सुर्खियों में आई थी. ■

## विकी डोनर के लिये पहली पसंद नहीं थे आयुष्मान खुराना



आयुष्मान ने अपने इन अनुभवों को अपनी किताब क्रैकिंग द कोड में साझा किया है. आयुष्मान ने लिखा है कि इमरान खान और सोनम कपूर की आई हेट लव स्टोरी में जब उन्हें सहायक भूमिका नहीं मिली तो उनका दिल टूट गया था.

आयुष्मान खुराना का कहना है कि सुपरहिट फिल्म विकी डोनर के लिये वह पहली पसंद नहीं थे. आयुष्मान खुराना ने वर्ष 2012 में प्रदर्शित फिल्म विकी डोनर से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी. आयुष्मान का कहना है कि वह विकी डोनर के लिये पहली पसंद नहीं थे और तब वह बॉलीवुड में मौके की तलाश में थे. आयुष्मान ने अपने इन अनुभवों को अपनी किताब क्रैकिंग द कोड में साझा किया है. आयुष्मान ने लिखा है कि इमरान खान और सोनम कपूर की आई हेट लव स्टोरी में जब उन्हें सहायक भूमिका नहीं मिली तो उनका दिल टूट गया था. आयुष्मान ने कहा कि विकी डोनर के लिये वह पहली पसंद नहीं थे. आयुष्मान ने कहा विवेक ओबेराय विकी डोनर को प्रोड्यूस करना और उसमें अभिनय करना चाहते थे, उन्हें लगभग साइन भी कर लिया गया था लेकिन किसी वजह से फिल्म के निर्माता रोनी स्क्रूवाला का मन बदल गया. इसके बाद शरमन जोशी को ऑफर दिया गया, लेकिन उनके इंकार के बाद यह फिल्म मुझे मिली थी. ■


## रणवीर इस दौर के सबसे काबिल अभिनेता: रणधीर कपूर



गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता रणधीर कपूर का कहना है कि उनके भतीजे रणवीर कपूर आज के दौर के सबसे काबिल अभिनेता हैं. रणवीर उनके छोटे भाई ऋषि के पुत्र हैं. रणधीर ने कहा कि रणवीर एक काबिल अभिनेता हैं और मौजूदा पीढ़ी के मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं. उन्होंने कहा कि रणवीर बेहद गंभीर कलाकार हैं, वह अच्छा काम कर रहा है और अच्छी फिल्मों का चयन कर रहा है. रणवीर की हालिया रिलीज हुई फिल्म रॉय है. इस फिल्म में उनके अभिनय की तारीफ हो रही है. इस फिल्म में वह एक अलग लुक में नज़र आए हैं. ■

## फिर नज़र आएगी शाहरुख-काजोल की जोड़ी

बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक शाहरुख और काजोल की जोड़ी एक बार फिर नज़र आने वाली है. इस बार दोनों एक साथ रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में नज़र आयेंगे. हालांकि रोहित ने इस फिल्म के बारे में चुप्पी साध रखी है. शाहरुख काजोल की जोड़ी अबतक फिल्म बाज़ीगर, करण-अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी, कभी गम जैसी सुपर हिट फिल्मों में नज़र आ चुकी है. शाहरुख-काजोल की जोड़ी बॉलीवुड में सफलता की गारंटी मानी जाती है. रोहित ने इस फिल्म के बारे में अगले महीने खुलासा करने की बात कही है. रोहित ने इन दोनों को फिल्म में लिए जाने के सवाल पर कहा कि इस समय मुझे लगता है कि मुझे छोड़कर सभी लोग मेरी फिल्म के लिए कलाकार चुनने में जुटे हैं और अपनी राय दे रहे हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ. ■



## कंगना के घर पहुंची रेखा

कंगना को फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था.

अ

भिनेत्री कंगना रनावत उस वक्त हैरान हो गईं, जब रात के तीन बजे किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया. कंगना ने जब दरवाजा खोला तो उनके सामने रेखा खड़ी थीं. उन्हें सामने खड़ा देख कंगना स्तब्ध रह गईं. लेकिन जब रेखा ने उन्हें देर रात घर आने का कारण बताया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. दरअसल रेखा उस वक्त फिल्म फेयर समारोह से लौटीं थीं. उस समारोह में कंगना को फिल्म क्वीन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था. कंगना उस समारोह में उपस्थित नहीं थीं, इस वजह से उनकी जगह पुरस्कार लेने स्टेज पर रेखा पहुंचीं. इसके बाद वह ब्लैक लेडी को कंगना को सुपुर्द करने पहुंच गईं. ट्रॉफी लेने के बाद कंगना ने कहा कि पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह पुरस्कार मिलेगा. इसलिए मैं अवार्ड फंक्शन में नहीं गई थीं. लेकिन उन्हें घर पर भी यह अवार्ड रेखा जी के हाथों से मिला इस लिए वह बहुत खुश हैं. ■



## अमृता राव ने शादी रचाई

अ

भिनेत्री अमृता राव विवाह बंधन में बंध गई हैं, अमृता ने आरजे अनमोल को अपना जीवन साथी चुना है. अनमोल रेडियो की दुनिया का जाना-माना नाम हैं.

फिलहाल वह एक स्पोर्ट्स चैनल के लिए शो करते हैं. अमृता पिछले दो सालों से सिल्वर स्क्रीन पर नज़र नहीं आई हैं. वह आखिरी बार फिल्मों में साल 2013 में फिल्म सत्याग्रह और सिंह साब गेट में नज़र आई थीं. कुछ समय पहले अमृता एक इवेंट में अंगूठी पहने पहुंची थीं, इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने सगाई कर ली है. इस बात को और हवा तब मिल गई जब वह मुंबई के सांताक्रूज़ स्थित एक नर्सिंग होम में देखी गईं, उस वक्त अनमोल वहां भर्ती थे. इसके बाद उन्होंने मुंबई में एक निजी समारोह में अनमोल से शादी कर ली. अपने रिश्तों को हमेशा मीडिया की नज़रों से दूर रखने वाली अमृता शादी के बाद अनमोल के साथ मुंबई के वकोला रिश्त अपने घर में रह रही हैं. यह घर अनमोल के घर के करीब है जहां उनका परिवार रहता है. इससे पहले अमृता वसोंवा में अपने परिवार के साथ रहती थीं. अब अमृता वकोला में ही प्रोफेशनल मीटिंग करती हैं. टीवी शो बेइंतहां में उनकी बहन प्रीतिका राव के आने के बाद अमृता भी छोटे परदे की ओर रुख कर सकती हैं. फिलहाल उनके पास बॉलीवुड में कोई काम नहीं है. ■



अपने रिश्तों को हमेशा मीडिया की नज़रों से दूर रखने वाली अमृता शादी के बाद अनमोल के साथ मुंबई के वकोला स्थित अपने घर में रह रही हैं. यह घर अनमोल के घर के करीब है जहां उनका परिवार रहता है.



# सोशली दैनिकिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

16 फरवरी-22 फरवरी 2015

## बिहार झारखंड

### प्राइम गोल्ड

PRIME GOLD 500

Fe-500+

टी.एम.टी. हुआ पुराना !  
टी.एम.टी. 500+  
का अब आया जगाना !

सिर्फ स्टील नहीं, प्योर स्टील

MFG : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD. PATNA

किरीक्यूरेशन एवं डिलीवरी के लिए हमका कॉल : 0612-2216770, 2216771, 8405800214

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467



**वास्तु विहार®**

एक विश्वस्तरीय टाउनशिप

AN ISO : 9001-2008 & 14001 COMPANY

# 9

लाख में  
2 BHK  
FLAT



वह भी मात्र 18,000/- की 36 किश्तों में  
\*Rates may vary project & state wise.

अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी फिर भी भारत में सबसे किफायती

1 Builder • 9 States • 58 Cities • 104 Projects

- स्विमिंग पूल • शॉपिंग सेन्टर
- 24x7 बिजली, पानी एवं सुरक्षा

[www.vastuvihar.org](http://www.vastuvihar.org)

Customer Care : 080 10 222222



# शकुनी कराएंगे महाभारत



नीतीश खेमे की ओर से हो रहे हमलों से जीतन राम मांझी को बचाने के लिए जो सबसे पहला और मजबूत घेरा तैयार किया गया है उसमें शकुनी चौधरी, शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह, वृषण पटेल, महाचंद्र सिंह और जगन्नाथ मिश्रा शामिल हैं। यही कोर टीम है जो सीएम पर हो रहे हमलों से बचाव और आगे की रणनीति की दिशा और दशा तय कर रही है। सीएम उनके करीबी संपर्क में रहते हैं और समय-समय पर उनसे उपयोगी परामर्श भी करते हैं। सीएम की राजनीतिक सुरक्षा के दूसरे घेरे में ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, राहुल शर्मा, अजीत सिंह के अलावा अन्य वैसे मंत्री और विधायक हैं जो नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से बेहद नाराज हैं।



**सू** वे बिहार में इस साल होने वाले चुनावी महाभारत के लिए रणभूमि को सजाने का काम शुरू हो गया है। महाभारत के इस युद्ध में कौन सा योद्धा किधर होगा और किसकी क्या भूमिका होगी, अभी तो इससे पर्दा उठाना बाकी है पर सूबे के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस बार के युद्ध में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भूमिका काफी अहम होगी। युद्ध में हार और जीत को तय करने में जीतनराम मांझी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब इस लड़ाई में कौन धर्म के मार्ग पर होगा और कौन अधर्म के, राजनीति में और खासकर चुनावी राजनीति में इसका निर्धारण करना बेहद मुश्किल है। जो जीतेगा वही धर्म के मार्ग पर कहलाएगा चाहे उस खेमे की व्यूह रचना शकुनी ने ही क्यों न की हो। इसलिए इतिहास को गवाह बनाकर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बिहार के रोज बदल रहे सियासी समीकरण को बारीकी से समझना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि बयानों के जो तीर धुआंधार चल रहे हैं, उन्हें असली में चलाने वाला कौन है और उसे किस लक्ष्य को धेदना है। यह भी समझना जरूरी है कि बिहार के चुनावी महाभारत के लिए जो ताना-बाना बुना जा रहा है, उसके असली सूत्रधार कौन हैं और उनकी मंशा क्या है? ऐसे सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब बिहार का चुनावी महाभारत खत्म हो जाएगा पर आइए इससे पहले कि यह युद्ध शुरू हो इसकी तैयारियों की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं।

बिहार में महाभारत की शुरुआत तो सबसे पहले जदयू से ही शुरू होने वाली है। चंद रोज पहले जदयू के बड़े नेताओं के बीच मनभेद और मतभेद की जो बात सुनों के हवाले से कही जाती थी आज वही बात जदयू के बड़े नेता और मंत्री कैमरे के सामने कह रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में रगड़ा हो रहा है। कुछ मंत्रियों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है तो कुछ मंत्री जीतन राम मांझी को हटाने पर आमादा हैं। ललन सिंह और पी के शाही जैसे मंत्री अफसरों के तबादले पर मुख्यमंत्री से कैफियत पूछ रहे हैं। मुख्यसचिव को पत्र लिखकर जानकारी मांग रहे हैं।

जदयू प्रवक्ता नीरज सिंह मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें किनके घर जाना चाहिए और किनके घर नहीं जाना चाहिए। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों को समझाने और उन्हें मनाने की पहल करनी चाहिए। साफ है कि नीतीश समर्थक जीतन राम मांझी को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब यह कि अपनी तरफ से उन्होंने युद्ध का आगाज़ कर दिया है। लेकिन जीतन राम मांझी कहां मानने वाले हैं। सीएम के समर्थक मंत्री और नेता उनकी ढाल बनकर आगे आ गए हैं। वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी कहते हैं कि इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है। जो लोग इतिहास से अज्ञान हैं वही लोग बचकाना बयान देते हैं। शकुनी चौधरी कहते हैं कि यह साल अपनी राजनीतिक लाइन साफ करते हुए कहते हैं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया और लालू प्रसाद ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया इसलिए मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार केवल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को ही है। इसलिए छोट-मोटे नेताओं के बयानों को बहुत



गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। रही बात आगे की राजनीति की तो नीतीश कुमार को भी पता है कि उन्होंने खुद गांडीव जीतन राम मांझी के हाथों में सौंपा है इसलिए उन्हें बिहार में होने वाले चुनावी महाभारत में जीतन राम मांझी के सारथी की भूमिका निभानी चाहिए और लालू प्रसाद को उनके ध्वज पर विराजमान होना चाहिए। यही आदर्श स्थिति है और चुनावी महाभारत जीतने का मूलमंत्र है। अगर युद्ध के मैदान में तस्वीर इससे रती भर भी अलग दिखाई पड़ी तो पराजय को तय मानिए। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए शकुनी चौधरी कहते हैं कि बिहार में लगभग पचास सालों तक अगड़ी जातियों के नेताओं ने राज किया। इसके बाद लगभग पच्चीस सालों तक लालू और नीतीश कुमार के रूप में पिछड़ी जाति के नेताओं ने राज किया। अब एक महादलित के हाथ में कमान आई है तो पता नहीं कुछ नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे कम से कम पांच साल तक जीतन राम मांझी को मौका दीजिए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को कुछ राहत मिल सके। शकुनी चौधरी के अनुसार हर नेता यह नारा देता है कि अंतिम

पायदान में बैठे व्यक्ति को आगे लाना है और जब अब यह मौका आया तो लोग जीतन राम मांझी के पैर खींचने में लग गए हैं। शकुनी चौधरी कहते हैं कि भाजपा एक बड़ी ताकत के तौर पर बिहार में उभर रही है इसलिए अगर नरेंद्र मोदी का विजय रथ बिहार में रोकना है तो सभी को जीतन राम मांझी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। काबिलेगौर बात यह है कि जीतन राम मांझी के पक्ष में तीर चलाने वाले योद्धाओं में शकुनी चौधरी अकेले वीर नहीं हैं। जैसे-जैसे मांझी मजबूत हो रहे हैं इनके गांडीव के पीछे वीरों की एक लंबी कतार दिखाई पड़ने लगी है।

मंत्री नरेंद्र सिंह और वृषण पटेल जीतन राम मांझी के लिए खुलकर तीर चला रहे हैं। नरेंद्र सिंह कहते हैं कि सीएम को हटाने या कमजोर करने से गलत संदेश जाएगा और इसका नुकसान पार्टी को चुनाव में हो सकता है। जानकार सूत्र बताते हैं कि नीतीश खेमे की ओर से हो रहे हमले से जीतन राम मांझी को बचाने के लिए जो सबसे पहला और मजबूत घेरा तैयार किया गया है उसमें शकुनी चौधरी, शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह, वृषण पटेल

और जगन्नाथ मिश्रा शामिल हैं। यही कोर टीम है जो सीएम पर हो रहे हमले से बचाव और आगे की रणनीति की दिशा और दशा तय कर रही है। सीएम से उनके करीबी संपर्क में रहते हैं और समय-समय पर उनसे उपयोगी परामर्श भी करते हैं। सीएम की राजनीतिक सुरक्षा के दूसरे घेरे में ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, राहुल शर्मा, अजीत सिंह के अलावा अन्य वैसे मंत्री और विधायक हैं जो नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से बेहद नाराज हैं। सूत्रों पर भरोसा करें तो यह कहा जा सकता है कि अगर कुछ मंत्रियों ने जीतन राम मांझी को कटघरे में खड़ा करने का काम बंद नहीं किया जो उन्हें मंत्रिपरिषद से बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसमें ललन सिंह, पी के शाही और श्रवण कुमार का नाम सबसे पहली पायदान पर है। शकुनी चौधरी बिहार के चुनावी महाभारत की जो व्यूह रचना रच रहे हैं उसमें जीतन राम मांझी को कई राजनीतिक हथियारों से लैश किया जा रहा है। महाभारत के शंखनाद के पहले जीतन राम मांझी को इतना मजबूत कर देने की कोशिश है कि वह जिधर भी रहें जीत उधर ही हो। पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसे हथियार भी इस युद्ध में आजमाए जा सकते हैं। शकुनी चौधरी कहते हैं कि उनका नाम ही जीतन राम मांझी है मतलब जिधर रहेंगे जीत उसी की होगी।

इधर नीतीश खेमा भी जवाबी कार्रवाई में जुट गया है। जीतन राम मांझी की काट क्या हो इस पर मंथन जारी है। पटना में होने वाले राजनीतिक सम्मेलन में ताकत दिखाने की तैयारी जोर-शोर से जारी है। नीतीश कुमार खुद इस सम्मेलन की तैयारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अब शकुनी चौधरी की सलाह पर सारथी की भूमिका में रहते हैं या फिर खुद गांडीव उठाकर महाभारत की लड़ाई में कूदेंगे।







## सीतामढ़ी

नीलामी विभाग के हवाले से बताया गया कि दुकानदार राजेंद्र प्रसाद, अहमदी खातून, अरुण कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, विदेश्वर प्रसाद गुप्ता, डॉ बीएन वसू, रघुनाथ, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ओम प्रकाश खेतान, विनोद कुमार सिन्हा, लक्ष्मी साह, अजीत कुमार वर्मा, उषेंद्र राय, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, राम करण महतो, राम औतार साह, अशोक कुमार गुप्ता व दया शंकर प्रसाद समेत कुल 40 दुकानदार शामिल हैं, जिन पर करीब 2 करोड़ से अधिक किराया मद का बकाया है।

# खास महाल की ज़मीन पर कब्जे की होड़

सीतामढ़ी जिले में भी वैसे तो सरकारी फरमान के आलोक में विकास कार्यों का कार्यान्वयन होता रहता है। परंतु कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन पर प्रशासनिक निर्देश और सरकारी आदेशों का कोई मतलब नहीं रह गया है। मामला शहर में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का हो अथवा नासी नाला की जमीन के अतिक्रमण का। सरकारी आदेश व प्रशासनिक निर्देशों के बाद भी इससे संबंधित फाइलें सालों से विभागीय कार्यालयों में धूल फांक रही हैं। इस पर नजर डालने का वक्त जिले के आलाधिकारियों के पास नहीं रह गया है। फिलहाल सीतामढ़ी में खास महाल की जमीन सरकारी व प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ती जा रही है। सरकारी जमीन के लीज के निर्धारित समय सीमा पार कर जाने के बाद भी न तो इस जमीन पर सरकार की नजर जा रही है और न ही जिला प्रशासन लीजधारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने में सफल हो पा रहा है। कारण कि खास महाल की कीमती जमीन पर कददावर लोगों का कब्जा है।



### वाल्मीकि कुमार

भ्रष्टाचार के सफाये और कानून का राज स्थापित करने को लेकर सरकारी स्तर पर चाहे जितनी भी डींगें हांक ली जाएं, परंतु जमीनी सच्चाई से इसका कोई लेना-देना नहीं रह गया है। अगर सरकार प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को छोड़ दिया जाये तो सरकार के प्रशासनिक तंत्र की उपलब्धि को तलाश पाना आसान नहीं है। वर्तमान में प्रशासनिक महकमे की नजर केवल वैसे ही स्थान पर जाकर अटकती नजर आ रही है, जहां से कुछ 'आसार' की गुंजाइश होती है। सड़क, नाला, पुल-पुलिया के निर्माण के अलावा इनकी नजर व्यवस्था के दूसरे कोने तक पहुंच ही नहीं पा रही है। कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर वादे तो किये जाते हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में दबी फाइलों से धूल हटाने का प्रयास शायद ही किया जाता है। नतीजा है कि कोई भी एक काम सही तरीका से ससमय हो पाना मुश्किल बना है।

सीतामढ़ी जिले में भी वैसे तो सरकारी फरमान के आलोक में विकास कार्यों का कार्यान्वयन होता रहता है। परंतु कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन पर प्रशासनिक निर्देश और सरकारी आदेशों का कोई मतलब नहीं रह गया है। मामला शहर में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का हो अथवा नासी नाला की जमीन के अतिक्रमण का। सरकारी आदेश व प्रशासनिक निर्देशों के बाद भी इससे संबंधित फाइलें सालों से विभागीय कार्यालयों में धूल फांक रही हैं। इस पर नजर डालने का वक्त जिले के आलाधिकारियों के पास नहीं रह गया है। फिलहाल सीतामढ़ी में खास महाल की जमीन सरकारी व प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ती जा रही है। सरकारी जमीन के लीजधारी के निर्धारित समय सीमा पार कर जाने के बाद भी न तो इस जमीन पर सरकार की नजर जा रही है और न ही जिला प्रशासन लीजधारी के मनमानी पर अंकुश लगाने में सफल हो पा रही है। कारण कि खास महाल की कीमती जमीन पर कददावर लोगों का कब्जा है। मकान निर्माण के लिए दी गयी जमीन हो अथवा दुकान की। सभी जगह हाल समान है। नतीजा है कि लीजधारी मालामाल तो सरकारी राजस्व का गोलमाल व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में किस्त दर किस्त खबरें प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन मामला जांच से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन साढ़े चार दशक पूर्व लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी इस मामले में जिला प्रशासन लीजधारियों की औकात के सामने बौना साबित हो रहा है।

बताया जाता है कि सीतामढ़ी में जिला मुख्यालय दुमरा एवं सीतामढ़ी शहर में खास महाल की पर्याप्त जमीन है। हाल के साल में

डीएम डॉ. प्रतिमा के निर्देश पर खास महाल के प्रभारी अधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता संदीप कुमार ने दुमरा में खास महाल के आवासीय क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू कराया था। दुमरा शंकर चौक के निकट स्थित काली मंदिर से लेकर बागमती परिसर तक खास महाल का क्षेत्र फैला है। खबरों के मुताबिक तकरीबन एक दशक पूर्व दुमरा अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी व अंचल अमीन द्वारा खास महाल के आवासीय क्षेत्र का सर्वेक्षण सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। जिसमें कुल 108 लीजधारियों का नाम शामिल था। जिनकी लीज की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। सूची के अनुसार अधिकांश लीजधारियों ने अपने

प्रभारी वरीय उप समाहर्ता संदीप कुमार ने पत्रकारों को बताया था कि खास महाल आवासीय क्षेत्र की भूमि को किराये पर देना अवैध है। लीजधारियों से लीज की जमीन का मूल कागजात मांगा जा रहा है।

अब एक नजर सीतामढ़ी शहर में मौजूद खास महाल की जमीन पर भी डाली जाये। नगर के बाटा गली के समीप से लेकर किरण चौक व अस्पताल रोड में कुछ दूरी तक खास महाल की जमीन है। बताया जाता है कि श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज परिसर में पड़ने वाली खास महाल की इस जमीन पर कुल 133 दुकाने हैं। इनमें अधिकांश लीजधारी दुकानदारों द्वारा सालों से किराये का भुगतान नहीं किया गया है। पिछले

ट्रांसफर कर सकता है और न ही बेच सकता है। पूर्व के सालों में कुछ दुकानदारों ने किराया बढ़ोतरी को लेकर उच्च न्यायालय में मुकदमा भी किया। वर्ष 2008 में 15 दुकानदारों ने खास महाल विभाग के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा किया था। जिसमें कोर्ट का फैसला दुकानदारों के पक्ष में हुआ था। इस मामले में प्रथम आदेश 7 सितंबर 2009 एवं दूसरा आदेश 15 नवंबर 2011 को आया था। जिसमें दुकानदारों को पुराने दर से बकाया का भुगतान करने का आदेश हुआ था। आदेश के आलोक में जब दुकानदार खास महाल कार्यालय पहुंचे तो उन्हें चक्कर लगाने की विवधता बनी रही। कारण विभागीय कर्मियों द्वारा लंबी कागजी प्रक्रिया

खास महाल की जमीन पर नाम बदलने की विभागीय छूट के बहाने हो रही लूट पर रोक आवश्यक है। खास महाल के जमीन की समीक्षा आवश्यक है। जिला प्रशासन को दुकानदारों की बात को सुन कर सार्थक रास्ता निकालना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाहता है तो उसके बगल वाले दुकानदार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अगर नहीं तो नये लोगों को उक्त स्थान पर मौका दिया जाना चाहिए। चल रही कथित खरीद-बिक्री पर रोक आवश्यक है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला का कहना है कि अधिकांश लीजधारी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

आवासीय लीज की जमीन को व्यवसायिक बना कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने चुप्पी साधी है। भाकपा जिला सचिव जय प्रकाश राय का कहना है कि खास महाल के जमीन की वर्तमान स्थिति के लिए जिला प्रशासन दोषी है। खास महाल की जमीन की बंदोबस्ती नये बाजार दर पर की जानी चाहिए। सरकारी फंड से गरीबों के लिए कॉलोनी का निर्माण कराया जाना चाहिए। धनवानों के हाथों से अविच्छिन्न खास महाल की जमीन वापस नहीं लिये जाने पर जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। लोजपा नेता सबीह अहमद का कहना है कि खास महाल की जमीन में व्यापक स्तर पर हेरा-फेरी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन समान रूप से दोषी हैं। पुराने लीजधारी की लीज की अवधि समाप्त होने की स्थिति में नयी दर पर नये लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। जिला जदयू उपाध्यक्ष सज्जन कुमार सुंदरका का कहना है कि खास महाल की जमीन का गलत तरीके से उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व के लीजधारियों की जांच कर खास महाल की जमीन पर गरीबों के लिए कॉलोनी का निर्माण कराया जाना चाहिए।

चर्चा है कि पूर्व में कुछ आलाधिकारियों ने खास महाल के गोरखधंधे पर विरोध लगाने की दिशा में पहल की थी। परंतु खास महाल की जमीन के कददावर कब्जाधारियों के सामने इनकी कुछ चलती, इससे पूर्व उनका स्थानांतरण हो गया। नेता, अधिवक्ता समेत अन्य रसूखद-रातों के ओहदे में दबने के कारण प्रशासनिक महकमे इस मामले में अब तक कुछ नहीं कर सका है। अगर यही आलम रहा तो खास महाल की नौबत पुराने जमींदारों के समान रह जाएगी, जो जमींदार तो कहलाते हैं मगर जमीन का स्वामित्व दुर्लभ होता है। रही सरकारी राजस्व की बात तो इसके लिए जिला प्रशासन कितना सज्जन होता है यह आने वाला समय ही बतायेगा। फिलहाल खास महाल की जमीन की व्यापक स्तर पर की जा रही फर्जी बिक्री व ट्रांसफर की चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने की आवश्यकता है।



**आवासीय लीज की जमीन को व्यवसायिक बना कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने चुप्पी साधी है। भाकपा जिला सचिव जय प्रकाश राय का कहना है कि खास महाल की जमीन की वर्तमान स्थिति के लिए जिला प्रशासन दोषी है। खास महाल की जमीन की बंदोबस्ती नये बाजार दर पर की जानी चाहिए। सरकारी फंड से गरीबों के लिए कॉलोनी का निर्माण कराया जाना चाहिए।**

आवासीय क्षेत्र की जमीन को किराये पर लगा दिया है। साथ ही 11 लोगों ने लीज की जमीन का अतिक्रमण भी किया है। जबकि कई लोग लीज की जमीन पर मकान का निर्माण कर किराया भी कमा रहे हैं। खबरों में प्रकाशित सूची के अनुसार 01 नवंबर 1939 से 19 मार्च 1969 तक कुल 29 लीजधारियों की लीज की अवधि निर्धारित थी। 28 दिसंबर 1940 से 19 दिसंबर 1970 तक 5, 1 अप्रैल 1937 से 31 मार्च 1967 तक 48, 19 अक्टूबर 58 से 18 अक्टूबर 88 तक 8 लीजधारी, वर्ष 1941 से 1971, 1944 से 1974, 1938 से 1968, 1967 से 1997, 1953 से 1983 एवं 1955 से 1985 की अवधि तक विभिन्न लीजधारियों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। लीज की अवधि 30 साल निर्धारित की गयी थी। बताया गया है कि इनमें अधिकांश लीजधारियों का देहांत हो चुका है, परंतु उक्त जमीन पर लीजधारियों के परिजनों का दखल है। इनमें कई राजनीतिक हस्ती व अन्य कददावर लोग शामिल हैं। खास महाल के

कुछ सालों में तकरीबन दो दर्जन से अधिक लीजधारी नियमों को टेंगा दिखाते हुए दुकान ट्रांसफर और पार्टनर बनाने के नाम पर दुकान की जमीन को लाखों में बेच चुके हैं। जबकि इन्कत दुकानों का किराया अब भी खास महाल का बकाया है। इस गोरखधंधे में खास महाल कार्यालय के कर्मियों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है। कारण कि ट्रांसफर की प्रक्रिया कार्यालय की सहमति के बिना संभव नहीं हो सकती है। बताया जाता है कि पिछले साल 22 जुलाई को जिला नीलामी अधिकारी गोपाल शरण ने किराया भुगतान नहीं करने वाले कॉलेज परिसर स्थित 40 दुकानदारों को नोटिस जारी किया था। इन दुकानदारों पर 2 करोड़ से अधिक किराया बकाया था। इस क्रम में यह भी खुलासा हुआ कि जिन दुकानदारों के नाम जमीन की बंदोबस्ती की गयी थी, वह दुकानदार अपनी दुकान लाखों में गैर कानूनी तरीके से बेच दिया है। जबकि खास महाल के नियम के मुताबिक जिस दुकानदार के नाम बंदोबस्ती है, वह न तो

बताया गया। नीलामी विभाग के हवाले से बताया गया कि दुकानदार राजेंद्र प्रसाद, अहमदी खातून, अरुण कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, विदेश्वर प्रसाद गुप्ता, डॉ बीएन वसू, रघुनाथ, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ओम प्रकाश खेतान, विनोद कुमार सिन्हा, लक्ष्मी साह, अजीत कुमार वर्मा, उषेंद्र राय, अरविंद कुमार श्रीवास्तव, राम करण महतो, राम औतार साह, अशोक कुमार गुप्ता व दया शंकर प्रसाद समेत कुल 40 दुकानदार शामिल हैं, जिन पर करीब 2 करोड़ से अधिक किराया मद का बकाया है।

खास महाल की जमीन पर चल रही माफियागिरी पर अब राजनीतिक दल के नेताओं ने चुप्पी तोड़ दी है। पूर्व सांसद नवल किशोर राय का कहना है कि खास महाल की नीति जर्जर हो चुकी है। सरकार को नयी नीति बनानी चाहिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। खास महाल को मूल अवधारणा को लेकर चलने की आवश्यकता है। नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि



## उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

### आजम को मुलायम सिंह यादव का भव्य जन्मदिन मनाने का तोहफा



# कौड़ियों के भाव मिली सरकारी जमीन और इमारत

## सरकारी जमीन देने पर राज्यपाल नाराज

मौलाना अली जौहर शोध संस्थान की सरकारी जमीन आजम खान की निजी संस्था को दिए जाने के प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राम नाईक बेहद नाराज हैं। राज्यपाल ने कहा कि वे इस गंभीर मामले पर खुद राज्य सरकार से बात करेंगे। आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को महज सौ रुपये की सालाना लीज पर जमीन देने के मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्यपाल ने कहा कि वे खुद सरकार से जानकारी लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह सरकारी जमीन दिए जाने पर ऑडिटर जनरल जांच करते हैं। जिस ट्रस्ट को जमीन दी गई है, वह सक्षम है या नहीं? इसकी रिपोर्ट भी ऑडिटर जनरल ही विधानसभा के सामने रखते हैं। विधानसभा की जिम्मेदारी है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करे। राज्यपाल बोले, मैं खुद इस मामले की जानकारी ले रहा हूँ कि किन परिस्थितियों में यह जमीन मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई। राज्य सरकार यह लीज 30 वर्षों के लिए देने जा रही है। इसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूर किया है। अब केवल राज्य सरकार और आजम खान के ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना ही बाकी है।

बनने के बाद सरकार ने उसे अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करा लिया था। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर और उनके बाद आए बीएल जोशी ने उसे रोक लिया। बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इसे अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया। पर राज्यपाल तैयार नहीं हुए थे। राजभवन का कहना था कि इस बिल को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। बाद में महज कुछ दिनों के लिए प्रभारी राज्यपाल बने अजीज कुरैशी ने जौहर विश्वविद्यालय को यह दर्जा दे दिया। कुरैशी अपना एजेंडा पूरा कर वापस चले गए। यूनिवर्सिटी के साथ दूसरा विवाद आजम खान के आजीवन कुलपति रहने को लेकर हुआ। हाईकोर्ट ने भी कुछ महीने पहले ही सरकार से यह सवाल पूछा था कि मंत्री रहते हुए आजम खान किसी यूनिवर्सिटी के चान्सलर कैसे रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी को जमीन दिए जाने, लीज रेंट माफ किए जाने और सरकारी मदद दिए जाने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। मौलाना मुहम्मद अली जौहर शोध संस्थान के जरिये आजम खान अपने ट्रस्ट का साम्राज्य बढ़ाने में लगे हैं। इस संस्थान के मिलने से ट्रस्ट को करोड़ों की

विडंबना यह है कि जौहर अली ट्रस्ट को महज सौ रुपये की लीज पर 30 साल के लिए सरकारी जमीन दे दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से यह फैसला हुआ था। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद केवल राज्य सरकार और आजम खान के ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना बाकी था। खुद सपाईं ही कहते हैं कि 21 और 22 नवम्बर को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का रामपुर में भव्य जन्मदिन समारोह मनाने के एवज में आजम खान के ट्रस्ट को अली जौहर संस्थान रिटर्न गिफ्ट में दे दिया गया।

वेशकीमती जमीन व इमारत मिल जाएगी। आजम खान इस शोध संस्थान का अपने ट्रस्ट में विलय इसलिए भी चाहते थे कि शोध संस्थान की वेशकीमती जमीन उनकी कोठी से ही सटी हुई है। दूसरी तरफ सरकार द्वारा दी गई जमीन को इलाहाबाद की धार्मिक वीथी दरबार ट्रस्ट को देने का मामला भी गरमा गया है। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद के सैम हिंगिनबॉटम इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज को सरकार द्वारा दी गई जमीन एक धार्मिक संस्था वीथी दरबार ट्रस्ट को दिए जाने पर आपत्ति जताई है। शैक्षणिक संस्था ने कानून को ताक पर रख कर सरकारी जमीन ट्रस्ट को दे दी। अमिताभ ठाकुर ने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि 23 मई 1914 को ब्रिटिश भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा नॉर्थ इंडिया मिशन ऑफ अमेरिकन प्रेस्बीटेरियन चर्च इन द यूएसए के बीच हुए समझौते के अनुसार संयुक्त प्रांत सरकार ने 53.275 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में कृषि विभाग बनाने के लिए दिया था जो बाद में एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट बना। इस समझौते में स्पष्ट रूप से अंकित था कि यह भूमि बिना सरकार की अनुमति के किसी भी अन्य प्रयोग के लिए हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसके बावजूद हिंगिनबॉटम एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट ने एक डीड के माध्यम से 26 बीघा जमीन वीथी दरबार ट्रस्ट को दे दी। ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य गॉस्पेल और धार्मिक कार्य फैलाना है। श्री ठाकुर ने इस भूमि हस्तांतरण को 23 मई 1914 के करार के विरुद्ध बताते हुए प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से मामले की जांच करा कर पूर्णतया धार्मिक कार्यों हेतु किए गए इस हस्तांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि वीथी दरबार ट्रस्ट पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शरीक रहने के आरोप लगते रहे हैं। अवैध रूप से सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरित करने तथा संस्थान के परिसर में जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई थी। इसके पहले भी कई बार वीथी दरबार में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए छात्र समुदाय विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। ■



वैष्णवी वंदना

**मौ** लाना जौहर अली शोध संस्थान की जमीन जौहर अली ट्रस्ट को दे दिए जाने के कारण समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान फिर विवाद में हैं। लेकिन इस विवादास्पद मामले में आजम खान के साथ-साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर भी बदनामी के छींटे पड़ रहे हैं। प्रदेश के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा के समक्ष यह प्रकरण पेश हुआ है और इसकी जांच की औपचारिकताएं भी शुरू हो गई हैं। जौहर अली विश्वविद्यालय के कुलपति और मंत्री जैसे लाभ के दो-दो पदों पर एक साथ काम करने का विवाद अभी चल ही रहा था कि यह नया विवाद सामने गया है। तीन फरवरी को सपा सुप्रीमो ने आजम खान को अपने आवास पर बुलाकर इस बारे में विस्तार से सलाह मशविरा किया और विवाद से बाहर निकलने की रणनीति पर बातचीत की। जौहर अली ट्रस्ट को जमीन दिए जाने के मामले के साथ ही इलाहाबाद में एक शैक्षणिक संस्था के लिए आवंटित सरकारी जमीन को धार्मिक संस्था वीथी दरबार ट्रस्ट को दे दिए जाने का मामला भी गरमा गया है।

दोनों मामलों के उजागर होने के बाद समाजसेवी डॉ. नूतन ठाकुर और उनके आईपीएस पति अमिताभ ठाकुर ने इसे कानून की दहलीज तक पहुंचाने का काम किया। डॉ. नूतन ठाकुर ने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आजम खान द्वारा मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर की वेशकीमती भूमि और भवन को अपनी ही निजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को दिए जाने के खिलाफ लोकायुक्त जस्टिस एन के मल्होत्रा के समक्ष परिवाद दायर किया है। जौहर अली शोध संस्थान राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के तहत है, लिहाजा उसकी जमीन सरकारी जमीन है और उसे बिना किसी नियम, शर्त और प्रक्रिया के ट्रस्ट को दे दिया जाना पूरी तरह गैर कानूनी है। लोकायुक्त की अदालत में दाखिल शिकायत में कहा गया है कि निजी संस्था या लोगों को सरकारी भूमि दिए जाने के

सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौरभ गांगुली, सुभाष चंद्र और कुशाभाई ठाकरे ट्रस्ट मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए आजम खान ने रामपुर शहर में करीब 1500 वर्गज जमीन और उस पर 9.83 करोड़ में बने सरकारी भवन को अपनी निजी संस्था के नाम मात्र सौ रुपये की वार्षिक लीज पर तीस साल के लिए दे दिया। आजम खान का यह फैसला पद का सीधा-सीधा दुरुपयोग है। यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि तत्कालीन प्रमुख सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने शोध संस्थान की सरकारी भूमि और भवन को विभागीय मंत्री की निजी संस्था को दिए जाने का विरोध किया था। इसका नतीजा यह निकला कि प्रमुख सचिव को ही उनके विभाग से हटा दिया गया और सरकारी मशीनरी पर दबाव डाल कर यह गैरकानूनी फैसला करा लिया गया। लोकायुक्त से इस मामले की जांच कराते हुए विवादास्पद आवंटन को निरस्त करने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। विडंबना यह है कि जौहर अली ट्रस्ट को महज सौ रुपये की लीज पर 30 साल के लिए सरकारी जमीन दे दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से यह फैसला हुआ था। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद केवल राज्य सरकार और आजम खान के ट्रस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना बाकी था। खुद सपाईं ही कहते हैं कि 21 और 22 नवम्बर को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का रामपुर में भव्य जन्मदिन समारोह मनाने के एवज में आजम खान के ट्रस्ट को अली जौहर संस्थान रिटर्न गिफ्ट में दे दिया गया। आजम खान को प्रति-उपहार देने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये 20 नवंबर को ही यह फैसला सुरक्षित कर दिया था। लीज की अवधि, रेंट और करार के मसौदे तय होने बाकी रह गए थे। लीज रेंट तय करने के लिए फाइल राजस्व विभाग के पास भेजी गई थी। लेकिन राजस्व विभाग ने इस पर कोई राय नहीं दी थी। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अफसरों ने मोगैम्बो को खुश करने के लिए लीज रेंट सौ रुपये सालाना तय कर दी। फिर आजम खान ने इसी लीज रेंट पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुहर भी लगवा ली।

उल्लेखनीय है कि आजम खान का ड्रीम प्रॉजेक्ट मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी हमेशा से सवालियों के घेरे में रहा है। यूनिवर्सिटी

## पहले से आजम की जमीनों पर नज़र रही है

**आ** जम खान के ट्रस्ट को सरकारी जमीने दिए जाने के मामले में अब कई और परते खुल कर सामने आ रही हैं। अपने निजी ट्रस्ट के साम्राज्यवादी विस्तार के लिए इर्द-गिर्द की जमीनों पर आजम खान की लोलुप निगाह पहले से रही है। रामपुर किले के अंदर स्थित मॉडल माटेसरी स्कूल के भवन को ही पट्टे पर ट्रस्ट के नाम कर देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को अर्सा पहले पत्र लिखा था। ट्रस्ट के लिए वे शासन से दो और सरकारी इमारतें हासिल करना चाहते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने सरकार से रामपुर की दो और इमारतों को ट्रस्ट को पट्टे पर देने की मांग की थी। इसके लिए भी वह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिख चुके हैं। इनमें से एक रामपुर के मजार चुप शामिया मोहल्ले में स्थित ओरियंटल कॉलेज की इमारत भी है। आजम खान इस इमारत को नाजायज कब्जे का शिकार बताते-बताते खुद ही कब्जा करने की कोशिशों में लग गए। आजम खान तर्क यह देते थे कि वे यहां रामपुर के बच्चों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) से मान्यताप्राप्त स्कूल खोलना चाहते हैं।





उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले 77वें स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन पर राज्यपाल राम नाईक ने पीठासीन अधिकारियों को कई नसीहतें दीं। उन्होंने कहा कि सदन के काम-काज में सबसे बड़ी समस्या सदस्यों का वेल में आ जाना है। अब तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य भी वेल में जाने लगे हैं। प्रश्नकाल और शून्य काल की हत्या नहीं होनी चाहिए। सदस्य मेहनत करके सवाल बनाते हैं। उनके जवाब के लिए गांव से लेकर दिल्ली तक हिल जाता है। हंगामे के चलते प्रश्नकाल हो ही नहीं पाता।



# स्पीकर ने सदन में बढ़ते विरोध पर जताई चिंता



## टीनबंधु कबीर

लखनऊ में हुए स्पीकरों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सदन में बढ़ते शोर पर चिंता तो जताई गई लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया कि सदनों में शोर क्यों बढ़ रहे हैं। सदन में बढ़ते विरोध के स्वर को सदन की मर्यादा पर कुठाराघात तो माना गया, लेकिन यह विचार में नहीं आया कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उसके खिलाफ सदन में शोर क्यों नहीं बरपे। सदन में जन प्रतिनिधियों से कुलीनपन की अपेक्षा की गई, लेकिन पीठासीन पदाधिकारियों ने सरकारों से यह अपेक्षा नहीं की कि जनता की आशाओं-उम्मीदों को वे पूरा करें तो सदन में खुद ब खुद शांति आ जाएगी।

सम्मेलन का लम्बो-लुबाव यही रहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के नाम पर विरोध के स्वर को धामने की कोशिशें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में देशभर की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इसी बात की भूमिका बनाई जाती रही कि सदन के वेल में आकर जनप्रतिनिधियों के विरोध के स्वर बुलंद करने पर कैसे अंकुश लगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक तो इस चलन को कैसर बताते हैं और इसके इलाज के लिए कारगर कीमोथिरेपी की वकालत करते हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल में बाधा न हो, इसकी चिंता तो जायज है, लेकिन जनता से चुनकर आने वाले जन प्रतिनिधि सदन में अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पाएं इसकी पेशबंदी लोकतंत्र के लिए कोई सकारात्मक चिंता नहीं है। सम्मेलन के दौरान विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष की भी अधिकतर सीटें खाली रहीं। बसपा और कांग्रेस के अधिकांश सदस्य नदारद रहे और भाजपा के विधायक भी पीठासीन सम्मेलन में नहीं पहुंचे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले 77वें स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन पर राज्यपाल राम नाईक ने पीठासीन अधिकारियों को कई नसीहतें दीं। उन्होंने कहा कि सदन के काम-काज में सबसे बड़ी समस्या सदस्यों का वेल में आ जाना है। अब तो सत्ताधारी पार्टी के सदस्य भी वेल में जाने लगे हैं। प्रश्नकाल और शून्य काल की हत्या नहीं होनी चाहिए। सदस्य मेहनत करके सवाल बनाते हैं। उनके जवाब के लिए गांव से लेकर दिल्ली तक हिल जाता है। हंगामे के चलते प्रश्नकाल हो ही नहीं पाता। अध्यक्ष को यह ध्यान रखना होगा कि हंगामे के चलते अध्ययनशील सांसदों के बोलने का मौका न चला जाए।

हालांकि राज्यपाल ने यह जरूर कहा कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी जोड़ दिया कि आजकल टीवी पर सदनों की लाइव कार्यवाही दिखती है। बच्चे सदन में झगड़ा देखकर कहते हैं कि इससे अच्छा तो हमारे स्कूल का अनुशासन है। सदन के आचरण का फर्क नई पीढ़ी पर पड़ता है। विपक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल विरोध के लिए महत्वपूर्ण विषयों को न रोके।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सदस्यों के बेहतर आचरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले विरोध के नए-नए तरीके खोज लेते हैं। वेल में आने के नियम का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। सदन की कार्यवाही लाइव होने के नफा-नुकसान दोनों हैं। कुछ सांसद अपने क्षेत्र में टीवी पर दिखने के लिए भी हंगामा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह भी कहा कि देश की प्रगति में विधायी निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सदन में जितनी रचनात्मक चर्चा होगी कानून उतने ही बेहतर बनेंगे। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी प्रशंसा की और कहा कि वे उत्तर प्रदेश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी के 60 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी हुई हैं। देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं पहले से अधिक सुदृढ़ हुई हैं और उनका स्वरूप भी निखरा है। सदन को लोकतंत्र का मन्दिर बताते हुए सीएम ने कहा कि जनता की आशाएं और अपेक्षाएं प्रत्यक्ष रूप से सदन से जुड़ी हैं। इसलिए सदस्यों की पहली प्राथमिकता जनता के विश्वास को सदन के प्रति मजबूत बनाने की होनी चाहिए।

पीठासीन अधिकारी एक जनप्रतिनिधि भी होता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। अखिलेश ने यह माना कि विगत कुछ वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारियों को अनेक विषय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सदन के संचालन एवं उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। विधायी संस्थाएं आजादी के संघर्ष की देन हैं। आजादी के संघर्ष को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश विधान मंडल की सशक्त मंच की भूमिका का उल्लेख करते हुए अखिलेश ने कहा कि इसी मंच से राज्य के महान नेताओं ने राजनीतिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की आवाज बुलंद की है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल को देश का सबसे बड़ा विधान मंडल बताते हुए उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे महान राजनेताओं ने इसी सदन से होते हुए देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। उत्तर प्रदेश विधान सभा में पीठासीन अधिकारियों के पद की गरिमा में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने जिस परम्परा की नींव रखी, उसे नफीसुल हसन, आत्माराम गोविन्द खेर, मदन मोहन

वर्मा, नियाज हसन सहित अन्य सभी अध्यक्षों ने वृद्धता के साथ निभाया और आगे बढ़ाया। महान समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विरासत को पुख्ता करने में मुलायम सिंह यादव के महत्वपूर्ण योगदान की भी सीएम ने चर्चा की। उल्लेखनीय है कि विधायी निकायों के पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन वर्ष 1921 से लगातार आयोजित हो रहा है। यह सम्मेलन विभिन्न राज्यों में आयोजित होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यह सम्मेलन इससे पहले वर्ष 1961 तथा वर्ष 1985 में आयोजित हो चुका है।

## पेपरलेस सदन पर सहमति

सदन को बोली विहीन करने की चर्चा के बाद उसे कागज विहीन करने के मसले पर भी चर्चा हुई। पेपरलेस सदन की आवश्यकता पर चर्चा के दौरान फिलहाल लेस पेपर सदन करने की सहमति बनी। नजीर के तौर पर हिमाचल प्रदेश और गोवा विधानसभा ने प्रेजेंटेशन दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कहना था कि



## वेल में आते ही हो जाएं निलंबन

स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बड़ी लाइन खींची। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्पीकर की भूमिका केवल सदन की कार्यवाही तक ही सीमित न हो बल्कि वे विकास के लिए भी प्रभावी पहल करें। महाजन ने कहा कि यह नियम है कि यदि कोई सदस्य वेल में आता है तो उसकी सदस्यता उस सत्र में निश्चित समय के लिए निलंबित हो सकती है। जब यह नियम है तो निलंबन स्वतः ही क्यों न हो जाए। इसके लिए अध्यक्ष को निर्णय क्यों करना पड़ता है। खुद ही यह सवाल उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्पीकर कहीं ऊपर से नहीं आता बल्कि वह भी जनप्रतिनिधि होता है इसलिए वह भी कार्यवाही से बचना चाहता है। होना यह चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज देखकर पार्टियां खुद ही यह निर्णय ले लें। छत्तीसगढ़ में वेल में आने के बाद स्वतः निलंबन की व्यवस्था लागू है। हालांकि कुछ विधानसभा अध्यक्षों ने इसके व्यावहारिक पक्ष को रखते हुए कहा कि दरअसल सदस्य पर कार्यवाही किए जाने से उस क्षेत्र या जनता के मुद्दे प्रभावित होते हैं जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इसलिए विवेक के आधार पर निर्णय ही बेहतर विकल्प है।

पेपरलेस प्रणाली से हर साल लगभग 15 करोड़ रुपये का प्रिंटिंग, वितरण और कागज का खर्च बचा है। बिहार सहित कुछ विधानसभाओं ने कम्प्यूटराइजेशन के लिए बजट की मांग की। हालांकि पंजाब का सुझाव आया कि पेपरलेस होने से इतने खर्च बचेंगे कि पुराने बजट में ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। कुछ विधानसभाओं का कहना था कि बजट जैसे विधायी कार्यों के लिए फिलहाल कागजी रिपोर्टों का जारी रखना जरूरी है। यह तय हुआ कि पहले सदन को लेस पेपर की ओर आगे बढ़ाया जाए, इसके बाद पूरी तरह से ऑनलाइन करने की ओर कदम आगे बढ़ाया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि यूपी में कार्यसूची पहले ही ऑनलाइन की जा चुकी है। अगले चरण में सदस्यों से नोटिस और उन्हें सूचना देने की प्रक्रिया को भी इ-मेल से भेजने की व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके लिए सदस्यों और विधानसभा सचिवालय के बीच संवाद की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सदन को जवाबदेह बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने भी कई नए प्रयोग किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव एपी सिंह ने बताया कि सदन में दिए जाने वाले मंत्रियों के आश्वासनों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। किसी मसले पर सुबह सदन में आश्वासन आता है और शाम तक वेबसाइट पर ऑनलाइन हो जाता है। साथ ही संबंधित विभाग को भी उसे तुरंत भेज दिया जाता है। एक साल के भीतर इस प्रयोग से 80 फीसदी से अधिक आश्वासनों पर कार्यवाही हुई है।



लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सदस्यों के बेहतर आचरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले विरोध के नए-नए तरीके खोज लेते हैं। वेल में आने के नियम का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। सदन की कार्यवाही लाइव होने के नफा-नुकसान दोनों हैं। कुछ सांसद अपने क्षेत्र में टीवी पर दिखने के लिए भी हंगामा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह भी कहा कि देश की प्रगति में विधायी निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सदन में जितनी रचनात्मक चर्चा होगी कानून उतने ही बेहतर बनेंगे। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी प्रशंसा की और कहा कि वे उत्तर प्रदेश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

